ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 57 अंक : 8

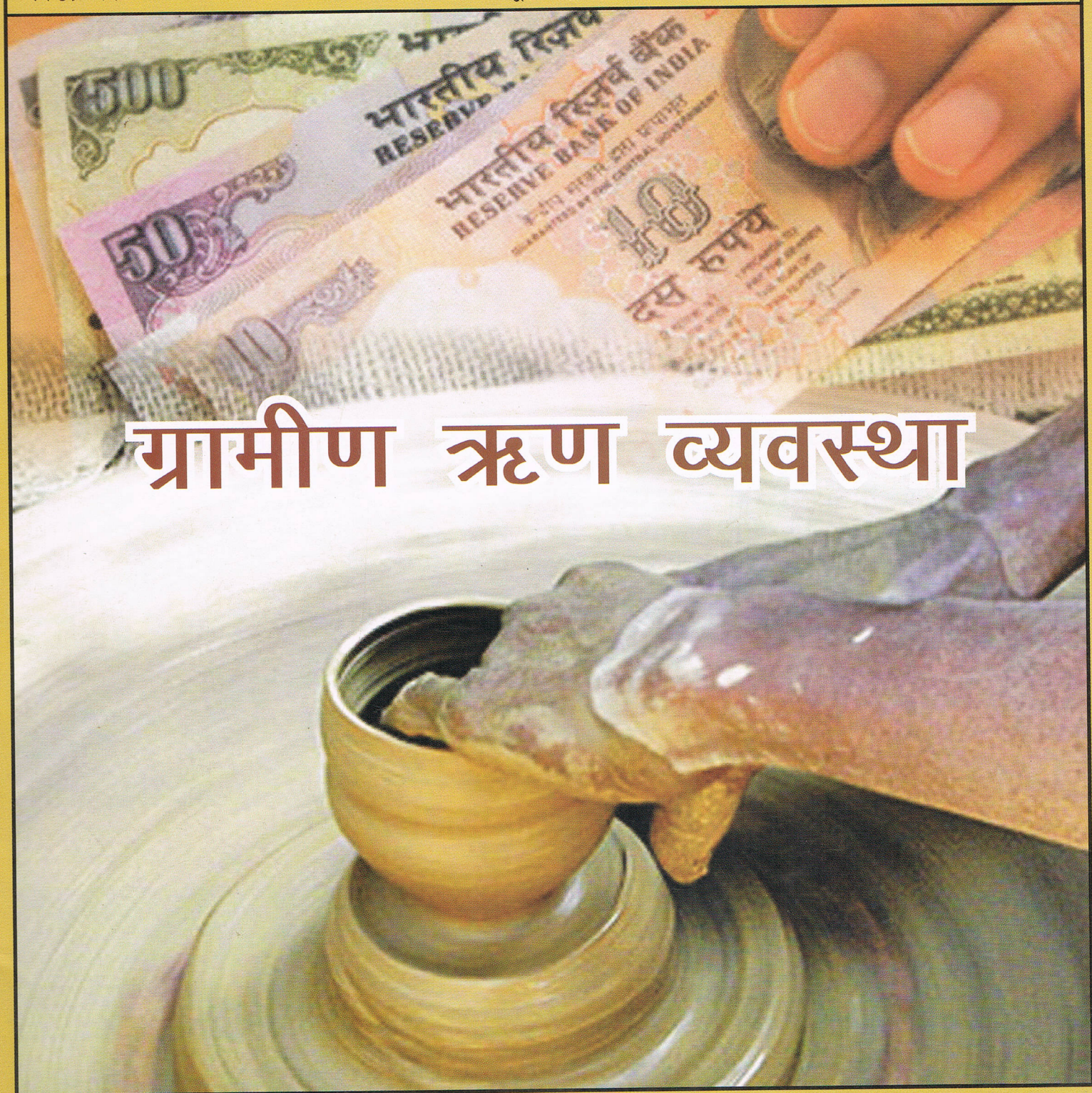

जून 2011

मूल्य : ₹ 10

सजग उपभोक्ता ही सशक्त उपभोक्ता है

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करें और एक जागरूक उपभोक्ता बने...

शिकायत कैसे की जाए

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :—

- शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता।
- शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ।
- शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज।
- शिकायत पर शिकायतकर्ताओं अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं।

उपभोक्ता कानून का ज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान

अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम का पता करने के लिए
www.ncdrc.nic.in पर लॉग ऑन करें।

उपभोक्ता! किसी सहायता/स्पष्टीकरण हेतु :
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. **1800114000** पर मुफ्त कॉल करें।
(टोल फ्री : सोमवार–शनिवार प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे) :
011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल दरें लागू)

जनहित में जारी :
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
www.fcamin.nic.in

KH-34/2011

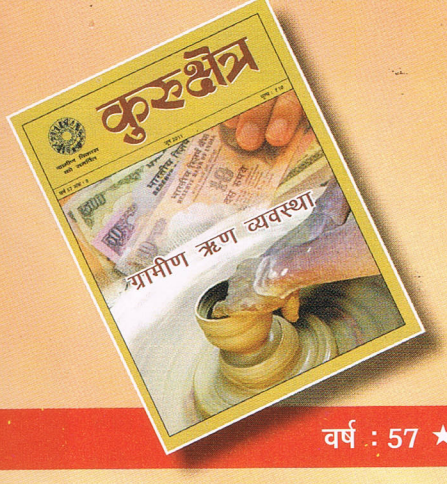

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 57 ★ मासिक अंक : 8 ★ पृष्ठ : 48 ★ ज्येष्ठ–आषाढ़ 1933 ★ जून 2011

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और हेमन्त कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

किसान क्रेडिट कार्ड से खत्म हुई किसानों की ऋण समस्या — सावित्री यादव — 3

ग्रामीण कृषकों के लिए ऋण व्यवस्था — डॉ. गजेन्द्र कुमार रावत — 10

गांवों में समृद्धि की राह दिखाता सूचना प्रौद्योगिकी ऋण — विजय कुमार शर्मा — 15

किसानों का मददगार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक — चन्द्रभान — 20

ग्रामीण विकास में संस्थागत ऋणों की भूमिका — डॉ. अनिता मोदी — 28

पपीते की वैज्ञानिक खेती — डॉ. ब्रजेश कुमार — 33

पोषक तत्वों से भरपूर आम — डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल — 38

इंडो-इज़राईल संयुक्त कार्यक्रम बदली किसानों की तकदीर — कुसुमलता सिंह — 43

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

आजादी के बाद देश के सामने जो चुनौतियां थी उनमें सबसे बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों के आधारभूत जीवन में सुधार के लिए उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा हुआ है। यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी रहेगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था–"जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।" नेहरूजी के इसी मंत्र को केंद्र सरकार ने अपनाया। केंद्र सरकार की चिंता का केंद्र बिन्दु खेत और खेतिहर ही रहे। इस चिंता का निराकरण करने के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई और इसका असर भी अब दिखने लगा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में रह रहे लोगों की ऋण समस्या को खत्म कर दिया है। इसके जरिए किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है और वे सूदखोरों के जाल से बच गए हैं जिससे उनका जीवन–स्तर भी ऊंचा हो रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की संयुक्त पहल पर तैयार की गई। इसे वर्ष 1998 में लागू किया गया। मार्च 2010 तक देश में कुल 9 करोड़ 36 लाख 73 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इस संदर्भ में दिसंबर 2010 की रिपोर्ट में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शायी गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके जरिए करोड़ों लोग फिर से खेती से जुड़ गए हैं।

ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बैंक कृषि श्रमिकों, लघु, कुटीर तथा दस्तकारी उद्यमियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किंतु यह भी सच है कि वर्तमान में इन बैंकों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा, कमजोर पूंजी आधार, अनर्जक आस्तियों का उच्च प्रतिशत, समन्वय का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। निसंदेह रूप से इन चुनौतियों का शीघ्र समाधान करके ही ग्रामीण विकास में इन बैंकों की प्रासंगिकता तथा सार्थकता को बढ़ाया जा सकता है।

पिछले कुछ समय से ग्रामीण भारत में लघु ऋण कार्यक्रम के रूप में स्वयंसहायता समूह भी काफी प्रचलित हुए हैं। इन स्वयंसहायता समूहों की खासियत यह है कि इनमें से अधिकतर समूहों को महिलाएं चला रही हैं। इस तरह स्वयंसहायता समूह ग्रामीण व्यवस्था के जरिए गरीबी उन्मूलन के साथ महिला सशक्तिकरण का भी कार्य कर रहे हैं। इन स्वयंसहायता समूहों की अवधारणा गरीब परिवारों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें किसी लघु उद्यम से जोड़ने की है। आज जरुरत इस बात की है कि इन स्वयंसहायता समूहों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे अपनी गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से चला सकें और लघु ऋण व्यवस्था सही मायने में उनका स्तर ऊपर उठाने में सार्थक बन सके।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने भी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की तकदीर बदल दी है। इस योजना के जरिए जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आसान तरीके से ऋण सुविधा मिल रही है वहीं स्वावलंबन का रास्ता भी मिला है। साथ ही, गांवों से युवाओं का पलायन भी रुका है। सरकारी नौकरी को लेकर बेताब रहने वाले युवा और ऋण के चक्कर में इधर–उधर भटकने वाले युवाओं को गांव अथवा बाजार में लघु उद्योग से जुड़ने का मौका मिला है। इस योजना के जरिए वे बैंकों से आसान तरीके से ऋण हासिल कर रहे हैं और खुद का कारोबार शुरू कर तरक्की की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को हो रहा है।

इस तरह भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों द्वारा देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोने–कोने तक ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है जिसका लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। कृषि, व्यापार, पशुपालन, लघु सीमांत कृषकों और ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से प्राचीन ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था को और सरल किया जाए ताकि इसका लाभ देश के सभी वर्गों को मिल सके और सफल ग्रामीण भारत का स्वप्न साकार हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड से खत्म हुई किसानों की ऋण समस्या

सावित्री यादव

किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में रह रहे लोगों की ऋण समस्या को खत्म कर दिया है। चूंकि गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कुछ न कुछ खेती का काम होता है। ऐसे में किसान खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेते हैं और समय पर बुवाई, मड़ाई करके न सिर्फ पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करते हैं बल्कि उपज बेचकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में चलने वाली साहूकारी प्रथा को खत्म कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने समय पर ऋण चुकाने पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज पर ऋण देने की घोषणा करके ग्रामीण जनजीवन को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का काम किया है। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड देश के किसानों की जीविका का साधन बना हुआ है।

चूंकि हमारे देश की करीब 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है इसलिए जब तक ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक देश में पूरी तरह से समृद्धि नहीं आ सकती है और इस समृद्धि की धुरी हैं किसान। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा हुआ है। गांवों में रहने वाली आबादी में हर परिवार का कोई न कोई सदस्य खेती से जुड़ा हुआ है। यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी रहेगी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब किसान खाद, बीज, पानी, कृषि उपकरण आदि के लिए किसी पर आश्रित न होकर स्वआश्रित होंगे तो उनमें खेती के प्रति उत्साह रहेगा। इसी उत्साह को कायम रखने के लिए सरकार की ओर से समय–समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई गई। हालांकि इन योजनाओं से किसानों का पूरी तरह भला नहीं हो पाया। किसान अपने हिसाब से जब चाहे तब खेती से संबंधित आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कर सकें, इसके लिए उन्हें पूंजी मुहैया कराने की जरूरत थी। ऐसी पूंजी, जो सस्ती ब्याजदर पर मिल सके और किसान अपनी सुविधा के अनुसार उस पूंजी की अदायगी भी कर सकें। इस मुद्दे पर निरंतर विचार–विमर्श चलता रहा और वर्षों के प्रयास के बाद यह पूंजी मिली किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में।

आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। नेहरू जी के इसी मंत्र को केंद्र सरकार ने अपनाया। केंद्र सरकार की चिंता का केंद्रबिंदु खेत और खेतिहर रहे। इस चिंता का निराकरण करने के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई और इसका असर भी अब दिखने लगा है। चूंकि अभी भी 70 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती पर आश्रित हैं। किसान ही नहीं देश के 40.22 करोड़ श्रमिकों में 58.2 फीसदी कृषि क्षेत्र पर आधारित हैं। यही वजह है कि गत वर्ष जहां सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना ब्याजमाफी के जरिए किसानों को राहत दी वहीं इस वर्ष के बजट में किसानों को समय से ऋण चुकाने पर तीन फीसदी की छूट दी है। यानी किसान समय से ऋण अदा करके चार फीसदी दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ग्रामीण इलाके में ऋण सुविधा के दृष्टिकोण से किसान क्रेडिट कार्ड बहूद्देशीय कार्ड साबित हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान न सिर्फ सूदखोरी के जाल से बच गए हैं बल्कि उनका जीवनस्तर भी ऊंचा हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कर्ज के लिए 4,75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक से अधिक ऋण देना सुनिश्चित करें।

अगर हम सरकार की और किसानों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट पर गौर करें तो स्थिति साफ है कि किसानों की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्ष 1981–82 में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई जिसमें यह बात खुलकर सामने आई कि खेतिहर परिवार के औसत ऋण में 139 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई और असम के अलावा ज्यादातर राज्य के किसान स्थानीय महाजनों के कर्ज से दबे थे। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सरकार ने सूदखोरों से किसानों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। लेकिन अफसोस यह अभियान ज्यादा कारगर नहीं हो पाया। वर्ष 1987 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ा कि किसानों के लिए उसे जो राशि जारी की जा रही है उसका 60 फीसदी हिस्सा वित्तीय संस्थानों के जरिए दिया जा रहा है और छह फीसदी हिस्सा ही किसान परिवारों तक पहुंच पा रहा है। यह चिंता का विषय था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस बयान के बाद सच्चाई सामने आई कि किसानों के हितों को लेकर चलने वाले अभियान में किस तरह से गड़बड़ी हो रही है। इस टिप्पणी के बाद सरकार ने सुधार का प्रयास किया। 1990 के दशक में आईआरडीपी के तहत किसानों को खेतीबाड़ी से विमुख होने से बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस योजना में भी कुछ बंदरबांट चली। रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिला। इससे किसानों को आठ हजार रुपये ऋण दिया गया। ब्याज दर 6.5 से 8 फीसदी रखी गयी थी। सरकार की ओर से गठित फोर्स कमेटी ने योजना की स्थिति से तत्कालीन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को वाकिफ कराया था जिस पर सरकार ने योजना की मानीटरिंग में लगे कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इतना ही नहीं किसानों को सस्ती दर पर पंपसेट सहित कृषि संबंधी अन्य उपकरणों के लिए भी ऋण की व्यवस्था की गई। लघु एवं सीमांत किसानों को शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रचार–प्रसार के नाम

पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यह अलग बात है कि मानीटरिंग का स्तर विकसित होने और किसानों में आई जागरुकता के कारण पहले की अपेक्षा अब किसानों को ज्यादा फायदा मिल रहा है।

इसी तरह किसानों की समस्या के निराकरण के लिए भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया। भूमि सुधार आयोग के गठन के बाद जहां किसानों को काफी फायदा मिला वहीं देश में कृषि भूमि के रकबे में भी बढ़ोत्तरी की गई क्योंकि पहले की अपेक्षा कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिकीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में जा चुका था। ऐसे में भूमि सुधार आयोग ने कृषि भूमि का रकबा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1985 में फसल बीमा योजना शुरू की गई जो 23 राज्यों में चल रही है। सरकार ने योजना आयोग के सदस्य सोमपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि वह न सिर्फ भारतीय कृषि की स्थिति की समीक्षा करेगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के किसानों की विभिन्न श्रेणियों की समस्याओं का भी मूल्यांकन करेगा। आयोग को यह भी जिम्मेदारी दी गई कि वह किसानों के बीच मौजूद असंतुलन का भी अध्ययन कर उनके निराकरण के लिए उपाय सुझाएगा क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए कृषि व्यवसाय को न सिर्फ सुदृढ़ करना होगा बल्कि आय के आकर्षक स्रोत भी तैयार करने होंगे, जिससे लोग खेतीबाड़ी से विमुख न हो। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही मौसम के अनुरूप नई तकनीकी से खेती करने के लिए प्रेरित करना होगा। आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किसानों को संसाधनों से जोड़ने की कोशिश की और यह कोशिश आज रंग दिखा रही है।

यूं आया किसान क्रेडिट कार्ड

दरअसल सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं चलाए जाने के बाद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था क्योंकि किसानों को कई चरणों में पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए। ऐसे में वे अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोर का ब्याज नहीं चुका पाते। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सर्वे कराया। सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को फसलवार पैसा मिल सके। फिर क्या था। सरकार ने 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली आरबीआई और नाबार्ड ने। पहली बार वर्ष 1998–99 में 6,07,225 कार्ड जारी हुए। वहीं 1999–2000 में 51,34,081 और वर्ष 2001–02 में यह आंकड़ा 93,40,534 तक पहुंच गया। किसान क्रेडिट कार्ड में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी का ग्राफ यही नहीं थमता बल्कि वर्ष 2008–09 में 8,46,67,000 एवं मार्च 2010 में यह संख्या 9,36,73,000 तक पहुंच गई। इस योजना में किसानों को उसकी जोत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें जितने रुपये की जरूरत है, उतने रुपये बैंक से आसानी से मिल रहे हैं।

रिजर्व बैंक और नाबार्ड की पहल पर आया केसीसी

आज हर किसान के हाथ में जो कार्ड है और जिसके दम से देश में खुशहाली आई है, उसकी पहल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से की थी। इसे वर्ष 1998–99 में लागू किया गया। इसके जरिए किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल

एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना के जरिए किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिए अलग–अलग आवेदन करने की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब एक बार जोतबही के आधार पर तैयार किए गए कार्ड से वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नज़दीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है। वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाए और आवेदन कर दें। किसानों को पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाता है,जो पहचान–पत्र का भी काम करता है। खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड–सह–पासबुक दिखानी होती है। इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 10 हजार तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं दी जाती है, लेकिन जो किसान 25 हजार से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 फीसदी तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसान खरीफ एवं रबी सीजन में 50 हजार तक का ऋण ले सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्डधारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज किसान क्रेडिट कार्डधारकों को प्रदान किया जाता है। यह योजना देशभर के सभी किसान क्रेडिट कार्डधारकों की मृत्यु या स्थायी अक्षमता को शामिल करती है। इसमें 70 वर्ष तक की आयु के सभी कार्डधारी किसानों को शामिल किया गया है। यदि कार्डधारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, जोकि बाह्य, हिंसक तथा दृष्टिगत कारणों से हो तो उसके परिजन को 50,000 रुपये एवं स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिति में भी 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा यदि दो अंग या दोनों आंख या एक अंग तथा एक आंख हो जाने पर भी परिजन को 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। इसी तरह एक अंग या एक आंख खराब होने पर कार्डधारी को 25,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में वार्षिक प्रीमियम भरा जाना हो उनमें बीमा कवर हिस्सा लेने वाले बैंकों से प्रीमियम प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होता है। तीन वर्ष की अवधि वाले बीमा के मामले में बीमा प्रीमियम प्राप्ति की तिथि से तीन वर्षों तक होगा।

इस योजना में प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्डधारक के लिए लागू 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम में से 10 रुपये बैंक तथा 5 रुपये किसान क्रेडिटकार्डधारक को देना होता है। इस योजना में क्षेत्रवार आधार पर व्यवसाय की सेवा चार बीमा कम्पनियों द्वारा दी जा रही है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप को कवर करती है। योजना लागू करने वाली शाखाओं को बीमा प्रीमियम मासिक आधार पर जमा करना होगा एवं उसके साथ उन किसानों की सूची भी देनी होती है, जिन्हें उस महीने के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हो। इस योजना में मृत्यु, अक्षमता के दावों के मामलों में तथा डूबने से मृत्यु होने पर दावे का निपटारा बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ

- सरल वितरण प्रक्रिया।
- नकद आपूर्ति के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया।
- प्रत्येक फसल हेतु ऋण के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं।
- किसानों के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिए ब्याज के बोझ को घटाना।
- किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीद करना।
- डीलर से नकद खरीद पर छूट।
- तीन वर्षों तक ऋण सुविधा यानी हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं।
- कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना।
- ऋण सीमा के भीतर कई बार राशि का निकालना संभव।
- फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान।
- कृषि अग्रिम के अनुसार ब्याज दर लागू।
- कृषि अग्रिम के अनुसार प्रतिभूति, मार्जिन एवं प्रलेखन नियम होंगे।

प्रमुख बैंक और कार्ड का नाम

इलाहाबाद बैंक– किसान क्रेडिट कार्ड
आंध्रा बैंक– एबी किसान ग्रीन कार्ड
बैंक ऑफ बड़ौदा– बी. किसान क्रेडिट कार्ड
बैंक ऑफ इंडिया– किसान समाधान कार्ड
केनरा बैंक– किसान क्रेडिट कार्ड
कॉर्पोरेशन बैंक– किसान क्रेडिट कार्ड
देना बैंक– किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स– ओरिएंटल ग्रीन कार्ड
पंजाब नेशनल बैंक– पीएनबी कृषि कार्ड
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद– किसान क्रेडिट कार्ड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया– किसान क्रेडिट कार्ड
सिंडिकेट बैंक– सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड
विजया बैंक– विजया किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड से आई सामाजिक क्रांति

किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गांवों से सूदखोरी प्रथा खत्म हो गई है। चूंकि पैसे के अभाव में किसान गांवों में रहने वाले साहूकार पर आश्रित रहता था। खेती के लिए वह यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था। इसी तरह खाद, बीज के व्यापारी भी मुंहमांगी कीमत वसूलते थे। फिर भी किसान उनसे खाद, बीज खरीदने को विवश होता था। इसका असर यह होता था कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान जो उपज पैदा करता था, वह साहूकारों का कर्ज चुकाने भर होती थी। कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज नहीं उतर पाता, ऐसे में किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को विवश हो जाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का बीज खरीदते हैं और अपने हिसाब से खाद डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जहां उन्हें सस्ते दर पर ऋण मिल जाता है वहीं इसकी अदायगी में किसी तरह का झंझट नहीं रहता है। यह एक तरह से सामाजिक

ENSEMBLE

सिविल समाज का मार्गदर्शक

ENSEMBLE में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी सिर्फ शिक्षण नहीं है, ENSEMBLE विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का संस्थाबद्ध एवं व्यक्तिगत समाधान विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा उपलब्ध कराता है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के अध्याय के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण भी उपलब्ध है, जिसमें सिर्फ विषयों की विवेचना ही नहीं, बल्कि उनका सरलीकरण, विश्लेषण, कम्प्यूटरीकृत ग्राफिक मल्टीमीडिया और एनिमेशन और क्या नहीं शामिल है.....

ग्रीष्मकालीन 2011 बैच प्रारंभ

भूगोल
कक्षा कार्यक्रम

- जहाँ अध्ययन सामग्री सबसे विस्तृत है।
- जहाँ गुणवत्ता जो अतुलनीय है।
- विश्वास जो अटूट है।
- दिशा जो निर्दिष्ट है।

27 जून, 2011

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
भूगोल

भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री
अब दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में.....

सामान्य अध्ययन

चार महीनों में विस्तृत सामान्य अध्ययन मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा अध्ययन सामग्री का क्रमबद्ध डिस्पैच मॉडल उत्तरों एवं अभ्यास पुस्तक-श्रृंखला के साथ। अब पूरी तरह नवीन सूचना एवं नए आंकड़ों समेत परिमार्जित, संशोधित और संवर्द्धित अध्ययन सामग्री।

4 जुलाई, 2011

एक विशुद्ध शिक्षण!
एक सम्पूर्ण समाधान!
आपका मार्ग प्रशस्त हो.....

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

MUKHERJEE NAGAR BRANCH: 2nd Floor Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Tel.: 011- 47527043, 27651852/53, 9899707583, 9811506926.
NOIDA BRANCH: ENSEMBLE Knowledge Park B-156, SECTOR-36/NOIDA, DISTT. (Near Noida City Center Metro, Beneath SBI) GB NAGAR, UTTAR PRADESH Mob.: 9811506926, 9899707583.
Email: ensembleias@gmail.com Website: www.ensemble.net.in

KH-33/2011

क्रांति जैसा है। यह बात खुद किसान स्वीकार करते हैं। किसानों का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में दी गई सहूलियतों की वजह से उनकी कृषि संबंधी समस्या का निराकरण हो गया है।

किसानों को सस्ती दर पर ऋण

केंद्र सरकार की हमेशा कोशिश रही कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मुहैया कराया जाए। यही वजह है कि मौजूदा बजट में एक तरफ किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने की घोषणा की गई है। वर्ष 2011–12 के बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान समय पर ऋण चुकाएंगे उन्हें सिर्फ चार फीसदी ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जाहिर–सी बात है कि वर्तमान परिवेश में ज्यादातर खेतिहर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे हैं। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋण पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज लेने का फैसला ऐतिहासिक है। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे पहले गत वर्ष सरकार ने 4.50 करोड़ किसानों को ऋणमाफी योजना में शामिल कर उन्हें राहत प्रदान की थी। अभी तक किसी भी योजना में इतने सस्तेदर पर ऋण देने का प्रावधान नहीं है। किसानों की माने तो सरकार के इस कदम से उन्हें बहुत राहत मिली है।

किसान क्रेडिट कार्ड से स्वरोजगार

किसान क्रेडिट कार्ड ने स्वरोजगार की दिशा में भी अहम भूमिका निभाई है। चूंकि इस कार्ड के जरिए सिर्फ खेती के लिए ऋण लिया जा सकता है ऐसे में तमाम किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती दर पर ऋण लिया। खेती की उपज बेचकर बैंक का पैसा अदा करने के साथ ही अपनी पूंजी भी तैयार की। इस तरह धीरे–धीरे पूंजी इकट्ठी होती गई और फिर इस एकत्रित पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती ही नहीं जीविकोपार्जन की दिशा में दूसरे विकल्प भी मुहैया करा रहा है। जमैथा के किसान मनोज बताते हैं कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से 25 हजार रुपये ऋण लिया। आलू का बीज घर का था। क्रेडिट कार्ड से मिले पैसे का खाद, पानी, दवा एवं मजदूरी के रूप में प्रयोग किया। आलू की बुवाई की। आलू की उपज जब तैयार हुई तो उसकी कुल कीमत करीब 60 हजार रुपये मिली। इस तरह बैंक का पैसा अदा करने के बाद उन्होंने 35 हजार रुपये बचाए। हालांकि खेती में उनके कुछ अतिरिक्त पैसे भी लगे थे, लेकिन जो बचत हुई वह एकमुश्त और इकट्ठी पूंजी के रूप में सामने आई। दूसरे साल भी इसी तरह 25 हजार रुपये बचाए। फिर इस पूरे पैसे को मिलाकर एक दुकान खोल ली है। दुकान से होने वाली आमदनी से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि खेती में जो लागत लगती है वह किसान क्रेडिट कार्ड से ही पूरी हो जाती है। मनोज बताते हैं कि उनकी सफलता का मूलमंत्र है जिस मद में पैसा लो, उसी में खर्च करो। उन्होंने बैंक से जो पैसा खेती के लिए लिया था, उसे खेती में ही खर्च किया। चूंकि वह समय पर ऋण अदायगी का ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से ब्याज दर में दी गई छूट का भी लाभ मिलता है।

केसीसी की कहानी किसानों की जुबानी

किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराए जाने के बाद किसानों को कई स्तर पर फायदा मिला है। उन्हें खेती के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। वे मनचाही खेती करते हैं और मुनाफा कमाते हुए बैंक का पैसा चुका देते हैं। इस तरह उनकी माली हालत में भी निरंतर सुधार हो रहा है। किसानों का कहना है कि जब से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए हैं अब पैसे के अभाव में ऐन वक्त पर उनकी खेती नष्ट नहीं हो पाती है। खाद की जरूरत पर खाद मिल जाती है और पानी की जरूरत होने पर पानी। किसान विजय शंकर बताते हैं कि पहले पैसे के अभाव में कई बार वह दवा का छिड़काव नहीं कर पाते थे और उनकी फसल चौपट हो जाती थी। जब उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिली तो वह सीधे स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचे। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया। कार्ड मिलने के बाद शाखा प्रबंधक ने उसके संचालन के बारे में भी जानकारी दी। अब बुवाई के समय बीज के लिए बैंक से पैसा ले लेता हूं। दवा छिड़कने की जरूरत पड़ती है तो भी बैंक से पैसा लेकर दवा छिड़क देता हूं। इस तरफ फसल को बर्बाद होने से बचाने में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रमुख भूमिका होती है।

(लेखिका कृषि विज्ञान की छात्रा हैं।)
ई–मेल : skympr@gmail.com

ग्रामीण कृषकों के लिए ऋण व्यवस्था

डॉ. गजेन्द्र कुमार रायत

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण होने के कारण देश के विकास में ग्रामीण विकास का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजना प्रारंभ की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित और असंगठित दोनों माध्यम से हो रही है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में गांधी जयंती के पावन अवसर पर चार राज्यों में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। भारत सरकार के माध्यम से इन बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित और असंगठित दोनों माध्यम से हो रही है। संगठित क्षेत्र में सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक एवं कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं आती है, इन संस्थाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। असंगठित क्षेत्र में देशी साहूकार तथा महाजन सम्मिलित हैं। ग्रामीण भारत में ऋण व्यवस्था पुरातन समय से ही विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था पूर्व से ही साहूकार, महाजनों के हाथों में ही रही है, और इनके द्वारा ग्रामीण वर्ग का अत्यधिक शोषण होता रहा है।

प्राचीन समय में जब ग्रामीणों को वित्त की आवश्यकता होती थी तो वे गांवों में रहने वाले साहूकार, महाजनों द्वारा कर्ज लेते थे और जिसके बदले अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों का शोषण होता था। इस शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों को वित्त व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि ये बैंक सस्ती ब्याज दरों पर ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्ध कर सके।

भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में गांधी जयंती के पावन अवसर पर चार राज्यों में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार के पास, 15 प्रतिशत राज्य सरकार के पास, तथा शेष 35 प्रतिशत भाग संबंधित बैंक के पास होता है। जून 2005 के अन्त तक 26 राज्यों में 196 क्षे. ग्रा. बैंकों की 14,496 शाखाएं देश के 523 जिलों में खोली गई हैं, इन बैंकों की 11,909 (82.2 प्रतिशत) शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था प्रदान कर रही थी, जून 2008 में बैंकों के विलय के पश्चात् इन बैंकों की संख्या 104 हो गयी जिनकी कुल 14,832 शाखाएं देश में कार्यरत् हैं जिनमें से 11,516 (77.64 प्रतिशत) शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था कर रही हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सामान्य ऋण नीति – व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी ऋण नीतियां इस प्रकार नहीं बनायी गई थी जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना आवश्यक थी। इनकी ऋण नीतियां एवं ऋण योजनाएं निम्न हैं–

बैंक की सामान्य ऋण नीतियां

- **लघु एवं सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण** – वर्तमान में इन बैंकों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों व कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किया जाता है। लघु कृषक में वे सभी कृषक आते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि या 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक असिंचित भूमि हो और सीमांत कृषक में सभी कृषक आते हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम या 2.5 एकड़ असिंचित भूमि हो। कृषि श्रमिकों में सभी भूमिहीन मजदूर आते हैं जिनकी कुल वार्षिक आय में कृषि संबंधी स्रोतों से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत से अधिक हो।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को ऋण** – यह बैंक अपनी समस्त ऋण योजनाओं में इस वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है साथ ही सब्सिडी भी देता है।
- **ग्रामीण कारीगरों एवं लघु व्यवसायी को ऋण** – ग्रामीण कारीगरों के अंतर्गत बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, बसौड़, दर्जी, लुहार, सुनार, एवं समकक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं। और ग्रामीण व्यवसायियों में फेरीवाले, किराना, कपड़ा, अनाज, सब्जी, फल आदि के व्यवसायी आते हैं। भारत सरकार द्वारा इस बैंक के माध्यम से बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

बैंक की विविध ऋण योजनाएं

भारत सरकार के माध्यम से इन बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष कृषि ऋण – इसके अंतर्गत लघु, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किए जाते हैं जो निम्न हैं।

(अ) कृषि संबंधी ऋण – भारत सरकार द्वारा इन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी ऋण प्रदान किए जाते हैं जो ग्रामीण विकास की गति में तीव्रता प्रदान कर रहे हैं।

- **फसल ऋण** – यह ऋण फसल बोने व तैयार करने हेतु और बीज, खाद, निराई, गुढ़ाई, बिजली, पानी, कटाई, आदि हेतु प्रदान किया जाता है। सामान्यतः इन ऋणों की अवधि एक वर्ष तक होती है। कुछ परिस्थितियों में 15 माह की अवधि के भी ऋण होते हैं।
- **पान बाड़ी हेतु ऋण** – इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने की पात्रता पान की खेती करने वाले तम्बोलियों की है। इस योजना में पान की नयी बाड़ी लगाने हेतु मध्यावधि एवं अल्पावधि ऋण, सामूहिक जमानत, भूमि बंधक एवं फसल ऋण का दृष्टि बंधक करार जमानत के आधार पर दिया जाता है। मध्यावधि ऋणों की वसूली 24 मासिक किस्तों में और अल्पावधि ऋणों की वसूली पान का अत्याधिक तुड़ाव आने पर मार्च, अप्रैल एवं मई के महीनों में की जाती है।
- **डंगराबाड़ी हेतु ऋण** – भारत सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से डंगराबाड़ी लगाने के लिए ऋण की पात्रता ढीमर, कीर जाति के लोगों आदि की है जोकि नदियों के तट पर तरबूज व खरबूज की बाड़ी लगाते हैं। यह ऋण गोबर खाद, रासायनिक खाद, बीज तथा दवाईयों के रूप में होता है।
- **लघु सिंचाई योजना संबंधी ऋण** – वे कृषक जिनके पास 14 एकड़ से कम असिंचित भूमि है, इस योजना के अंतर्गत ऋण

प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इस योजना के अंतर्गत डीजल पम्प, विद्युतपम्प, कृषकों को कुआं आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। ऋण की अदायगी एक वर्ष बाद देय होती है।

- **भूमि सुधार हेतु ऋण** – भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खेतों में मेढ़ बनाने, कृषि समतलीकरण, बांध बांधना, निकास की नालियां बनाने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ऋणों का भुगतान पांच वर्षों में किया जाना आवश्यक है।
- **बैल क्रय करने हेतु ऋण** – कृषकों को ग्रामीण बैंक द्वारा बैलों को क्रय करने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही बैंकों द्वारा इन बैलों का बीमा भी करवाया जाता है।
- **गोबर गैस प्लांट लगाने हेतु ऋण** – भारत सरकार द्वारा इन बैंकों के माध्यम से गोबर गैस संयंत्र हेतु मध्यकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। इसके लिए कृषकों के पास दो–तीन पशु (गाय, भैंस आदि) होने चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध हो सके। इससे बड़े आकार का गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए पशुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए।

(ब) पशुपालन संबंधी ऋण – भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पशुपालन संबंधी ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि ग्रामीण वर्ग अपनी आय में वृद्धि कर सके और पशुपालन का लाभ उठा सके। इसके लिए ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाएं प्रदान की गई हैं।

- **दुग्ध विकास हेतु पशु क्रय करने की योजना** – इस योजना का लाभ लघु कृषक, सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर, पिछड़े वर्ग के हरिजन आदिवासियों को प्रमुख रूप से दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार इन व्यक्तियों को बैंक के माध्यम से ऋण राशि का भुगतान सीधे पशु विक्रेता को ही करती है। सिर्फ दाना खली एवं घास के लिए ही ऋणी को नगद राशि प्रदान की जाती है। बाकी ऋणियों को ऋण राशि का भुगतान पशु क्रय करने के एक माह पश्चात् से प्रतिमाह 20 से 30 किस्तों में करना होता है।
- **बकरी पालन हेतु वित्तीय योजना** – इस योजना के अंतर्गत सरकार बैंक द्वारा ग्रामीणों को बकरी पालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है और ऋण राशि की अदायगी 15 मासिक किश्तों में करना अनिवार्य होती है।
- **सुअर पालन हेतु वित्तीय सहायता** – ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार सुअर पालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है।
- **कुक्कुट पालन हेतु ऋण योजना** – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मुर्गी पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मध्यकालीन ऋणों के अंतर्गत इस योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस कार्य हेतु बैंक उधारगृहिता को 3 वर्ष का मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंक अपनी शर्तानुसार उधारगृहिता की भूमि का दृष्टि बंधक करार करता है। यदि उधार गृहिता या ऋणी लघु सीमांत कृषक है तो ऋण राशि का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं के हिस्से के रूप में बैंक में जमा करना अनिवार्य होता है जबकि अन्य परिस्थितियों में ऋण का 10 प्रतिशत जमा करना होता है।

अप्रत्यक्ष कृषि ऋण – भारत सरकार सामान्यतः अप्रत्यक्ष कृषि ऋण सरकारी समितियों के माध्यम से प्रदान करती है। वर्तमान में विभिन्न बैंक समितियों के माध्यम से समस्त वर्गों को ऋण प्रदान कर रहे हैं जो निम्न है–

- **ग्रामीण कारीगरों को ऋण** – भारत में क्षेत्रीय बैंकों द्वारा ग्रामीण कारीगरों हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं का परिचय निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट है–
- **ग्रामीण क्षेत्रों के चर्मशोधकों व चर्मकारों हेतु वित्तीय सहायता**– पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में चर्मशोधन, जूते बनाने व मरम्मत करने अथवा चमड़े की अन्य विविध वस्तुएं बनाने, औजार खरीदने, एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु सरकार ऋण प्रदान करती है।
- **बांस की टोकरी बनाने के लिए ऋण योजना** – ऐसे परिवार जिनको वन विभाग से बांस के लिए पुस्तक प्राप्त है, वे इस योजना के द्वारा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बांसों की सतत् उपलब्धि बनाए रखना है। सरकार बांस की टोकरी बनाने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है।
- **दर्जियों को सिलाई मशीन हेतु वित्तीय सहायता** – इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दर्जियों को सिलाई मशीनों को खरीदने के लिए बैंक द्वारा ऋण राशि प्रदान की जाती है। इस ऋण राशि का 5 प्रतिशत अंशदान ऋणी को बैंकों में जमा करना होता है और बैंक ऋण राशि का भुगतान सीधे सिलाई मशीन विक्रेता को करता है। साथ ही ऋणी को ऋण राशि की अदायगी 24 समान मासिक किश्तों में करनी होती है।

(स) ग्रामीण लघु व्यवसायियों को ऋण सहायता – सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले व्यवसायियों अथवा नये सिरे से अपना व्यवसाय प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को बैंकों द्वारा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।

- **नौका क्रय हेतु नाविकों को ऋण** – भारत सरकार द्वारा नौका क्रय हेतु नाविकों को ऋण प्रदान किया जाता है।
- **होटल/पान दुकान हेतु ऋण** – ग्रामीण बेरोजगारों को भारत सरकार ने ऋण योजनाओं के माध्यम से होटल एवं पान दुकान हेतु ऋण व्यवस्था प्रदान की है।

- **हाथ ठेला या रिक्शा क्रय हेतु ऋण** – ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर तबके के लोगों को भरण–पोषण के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हाथठेला या रिक्शा क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है।
- **सब्जी के व्यवसाय हेतु ऋण** – ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए सब्जी व्यवसाय के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों को सब्जी के उचित मूल्य के साथ–साथ सब्जी का व्यवस्थित व्यवसाय मिला है।
- **कपड़े के व्यवसाय हेतु ऋण** – भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कपड़ों के व्यवसाय के लिए भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- **उचित मूल्य के अनाज व किराना दुकान हेतु ऋण** – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कमजोर एवं गरीब वर्ग के श्रमिकों के लिए सस्ते एवं उचित मूल्य के अनाज व किराना दुकान हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।
- **आटा चक्की व्यवसाय हेतु ऋण** – पुराने समय में अनाज को पिसाने हेतु परम्परागत तरीकों का उपयोग होता था। इस व्यवस्था को सरकार ने बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए आटा–चक्की के व्यवसाय के लिए ऋण योजना की व्यवस्था की है।
- **फलों के बगीचे हेतु ऋण** – ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की पर्याप्त व्यवस्था के लिए कृषकों को फलों के बगीचे लगाने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भारत सरकार ने ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की है।
- **शासकीय सस्ते अनाज की दुकान हेतु ऋण** – ग्रामीण क्षेत्रों के लघु, सीमांत और कृषि श्रमिकों के लिए सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों को शासकीय सस्ते अनाज की दुकान हेतु ऋण प्रदान करने की योजनाएं लागू की। वर्तमान में सरकार इन योजनाओं के अतिरिक्त भी अन्य और लघु व्यवसायों के लिए ग्रामीणों को ऋण प्रदान कर रही है जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।

(द) अन्य ऋण योजनाएं

- **उपभोग ऋण** – सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को उपभोग ऋण प्रदान करती है जो व्यक्ति बैंक की समिति के सदस्य है वे ही बैंक से उपभोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- **जमाराशियों एवं आभूषणों पर ऋण** – सरकार बैंकों के माध्यम से स्वर्ण, आभूषणों और जमाराशि पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत ऋण देने के पहले बैंक अपने स्वर्णकार से आभूषणों की परख करवाती है, इसमें स्वर्णकार एवं बैंक के मध्य अनुबंध रहता है। स्वर्णकार आभूषणों की जांच करके एक प्रमाण–पत्र देता है जिसमें आभूषण का विवरण तथा बाजार मूल्य लिखा होता है, जिसके आधार पर बैंक ग्रामीणों को आभूषणों की कीमत का 60–75 प्रतिशत राशि तक का ऋण प्रदान करता है।
- **वाहन क्रय हेतु ऋण** – वर्तमान समय में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के क्रय हेतु अत्यधिक मात्रा में ऋण प्रदान किया जा रहा है जिसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को बैंक में वाहन संबंधी कोटेशन देना होता है, जिस पर वाहन की क्रयराशि होती है। बैंक इस योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान सीधे संबंधित वाहन विक्रेता को करता है।
- **ग्रामीण खाद व्यापार योजना** – इस योजना के अंतर्गत रासायनिक खाद, कीटनाशक, उन्नत बीजों तथा अन्य उपयोगी सामान्य वस्तुओं की पूर्ति हेतु शिक्षित बेरोजगारों, कृषि स्नातकों और प्रतिष्ठित ग्राम सेवकों को आवश्यक मात्रा में बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक इसके लिए ऋणी को 80 प्रतिशत ही राशि प्रदान करता है बाकी 20 प्रतिशत राशि स्वयं ऋणी की होती है।
- **ग्राम गोद लेने की योजना** – सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ग्राम गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत शिशु के पालन–पोषण की जिम्मेदारी

जिस व्यक्ति पर होती है उसको बैंक, पालन–पोषण से लेकर शिक्षा तक ऋण प्रदान करता है।

- व्यापार, बाजार सुविधा के साथ ही सामाजिक उन्नति की गतिविधियों यथा मकान, सड़क, स्कूल, चिकित्सालय, पानी, बिजली आदि के लिए बैंक ऋण वितरण करने पर विचार करता है।
- **वेयरहाउस रसीद पर ऋण** – भारत सरकार द्वारा वेयर हाउस रसीद पर ऋण प्रदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए बैंक कृषकों द्वारा वेयर हाउस में रखे गए अनाज पर वेयर हाउस द्वारा अनाज की कीमत के आधार पर 90 प्रतिशत राशि तक का ऋण प्रदान करता है और उस पर ब्याज भी लेता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना** – सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को पूर्ण सिंचित भूमि का आकलन करके वास्तविक मूल्य निर्धारित कर बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करती है तथा भूमि के मूल्य के आधार पर कृषकों को फसल ऋण प्रदान करती है।
- **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना** – राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्डधारक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किफायती दर पर अनिवार्यतः कराया जाता है जिसमें कृषकों को तीन वर्षीय बीमा प्रीमियम देना होता है।

समस्याएं – ग्रामीण भारत में सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से ऋण व्यवस्था प्रदान की गई है लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं जो निम्न हैं–

- योजनाओं की जटिल प्रक्रिया,
- गारंटी की समस्या,
- दलालों की समस्या,
- उपयुक्त समय पर ऋण प्राप्त न होना,
- ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बैंकिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना,
- ग्रामीण बैंकिंग और सहकारी समीतियों के कर्मचारियों का रवैया ठीक न होना,
- अपर्याप्त ऋण की समस्या आदि भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो ऋण व्यवस्था में बाधक बनी हुई हैं जिनका समाधान करना अत्यावश्यक है।

सुझाव – ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की ऋण संबंधी समस्या को सुलझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को ऋण व्यवस्था में मामूली सुधार करना चाहिए तभी ग्रामीण वर्ग ऋण योजनाओं का उचित लाभ उठा सकेंगे। ये सुझाव निम्न हैं–

- ऋण योजनाओं की प्रक्रिया सहज व सरल की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण वर्ग को समझने में आसानी हो।
- ऋण प्रदान करने की ऐसी सुविधा की जानी चाहिए जिससे इसमें दलाल की किसी भी प्रकार की भूमिका न रहे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एक निर्धारित समय सीमा व उचित ब्याज दर में उपलब्ध कराए जाए ताकि हितग्राहियों को ऋण का पूर्ण लाभ मिल सके।
- ग्रामीणों को बैंक द्वारा ऋण योजनाओं की जानकारी पूर्ण नहीं मिल पाती है। अतः सरकारी ऋण योजनाओं को समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा ग्रामीण सहकारी समितियों, ग्रामीण समूहों तक स्थानीय भाषा में उन तक पहुंचाया जाए।
- सरकार भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को उनकी क्षेत्रीयता के आधार पर ऋण प्रदान कर रही है किन्तु ग्रामीणों को इनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को ऋण व्यवस्था में थोड़ा सुधार कर पर्याप्त ऋण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

वर्तमान में भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोने–कोने तक ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है जिसका लाभ भारत के लोगों को मिल रहा है। कृषि, व्यापार, पशुपालन, लघु सीमांत कृषकों, ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण मिल रहा है। साथ ही परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था को सरल कर दिया जाए ताकि इसका लाभ भारत के सभी वर्गों को मिल सके तभी एक सफल ग्रामीण भारत की कल्पना की जा सकती है।

(लेखक शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, दमोह में अर्थशास्त्र के अतिथि विद्वान हैं।)

ई–मेल : dr.gajendrarawat@gmail.com

गांवों में समृद्धि की राह दिखाता सूचना प्रौद्योगिकी ऋण

सूचना एवं प्रौद्योगिकी का बाजार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। टेलीफोन, कम्प्यूटर अब हर व्यक्ति की आधारभूत जरूरत-सा हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से अपनी स्ववित्त पुर्नभरण योजना में शामिल किए गए 'सूचना प्रौद्योगिकी ऋण' ने युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। इस योजना से जहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंच पाएगी वहीं हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इस विधा में प्रशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने के बजाय खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं।

विजय कुमार शर्मा

आज संचार सुविधाएं हर व्यक्ति की जरूरत बन गई हैं। कम्प्यूटर एवं संचार–यंत्र हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। इंटरनेट का जन्म सूचना संचार–यंत्रों एवं कम्प्यूटरों में सूचना के आदान–प्रदान से हुआ है, लेकिन जब इसके साथ इंटरनेट जुड़ा तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हरेक विषय से संबधित सूचना आबंटित करने के नऐ रास्ते खोल दिए हैं। आज से करीब 15 वर्ष पहले जब इंटरनेट ने भारत में कदम रखा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका इतने व्यापक स्तर पर प्रयोग हो पाएगा। लेकिन इसकी उपयोगिता इसके विस्तार के लिए विवश कर रही है। यही वजह है कि सरकारी स्तर पर भी सब कुछ कम्प्यूटराइज्ड और नेट आधारित किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी ऋण योजना से जोड़ा जा रहा है। चूंकि रोजगार का रास्ता वहीं प्रशस्त होता है, जिस क्षेत्र में भविष्य में भी विस्तारीकरण दिख रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी इस दिशा में सबसे सशक्त जरिया दिख रहा है। वर्तमान में हर व्यक्ति अपने निवास पर बैठे विदेश में बैठे व्यक्ति से न सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उससे बात करते हुए उसे देख भी सकता है। अपनी इच्छित जानकारी घर बैठे अपने कम्प्यूटर से प्राप्त करता रहता है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि की है और रोजगार के नए द्वार भी खोले हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इसमें रोजगार के बढ़ते अवसरों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को अपनी स्ववित्त पुर्नभरण योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादन गतिविधि की इकाई, जोबवर्क इकाई, सेवा इकाई अथवा प्रशिक्षण इकाई के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क (एर्नेट) ने इंटरनेट शुरू किया। आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को हुई। उस समय यह एकदम अजूबा–सा था, लेकिन अब स्थिति यह है कि हर माह दुनियाभर के लोग करीब 27 अरब घंटे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अकेले भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 80 करोड़ पार कर गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वर्ष 2013 तक दुनियाभर में 2.2 अरब इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। विश्व इंटरनेट बाजार में भारतीय ई–यूजर्स व डेवलपर्स खासा जगह बना चुके हैं। मालूम हो कि विश्व के 42.4 फीसदी यूजर्स अकेले एशिया में हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 'सूचना नेटवर्क को सूचना सुपर हाइवे' कहा जाने लगा है। अब इसे औद्योगिक एवं सामाजिक क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका असर दिल्ली, मुंबई से होते हुए अब गांव स्तर पर पहुंच चुका है। खबर, सोशल नेटवर्किंग, चिकित्सा, मनोरंजन, ई–मेल और शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही अब इसके जरिए हम बिजली, पानी का बिल जमा कर रहे हैं और अपने कृषि संबंधी उत्पादों की जानकारी भी ले रहे हैं।

जाहिर है कि जिस क्षेत्र में उपभोक्ता अधिक होंगे उसका बाजार भी बढ़ेगा और उसमें रोजगार की संभावना भी अपार होगी। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर सूचना प्रौद्योगिकी ऋण योजना शुरू की गई है। इसके जरिए हजारों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सका है। साथ ही शहर ही नहीं ग्रामीण इलाके में भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रशिक्षण केंद्र खुल सके हैं। इस योजना के तहत ऋण लेकर प्रशिक्षण पाकर युवा लोग प्रशिक्षण केंद्र खोलकर खुद आत्मनिर्भर तो बने ही हैं, साथ ही केंद्र के आसपास के गांवों के बच्चों को प्रशिक्षित कर सूचना एवं टेक्नोलाजी के क्षेत्र में पारंगत कर रहे हैं।

योजना में शामिल गतिविधियां

इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों, शिक्षित युवकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को विशेष तवज्जो दिया जाता है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी तरह की इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाता है। इसके पीछे मूल मकसद है कि जो युवक शिक्षित एवं प्रशिक्षित हैं, वे धनाभाव में इधर–उधर न भटके बल्कि ऋण सुविधा प्राप्त कर अपना कारोबार शुरू कर सकें। इस तरह इस योजना में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल की गई हैं–

- टेलीफोन सेंटर– पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी सेवाएं, फैक्स एवं इंटरनेट सेवाएं।

- कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र।
- साफ्टवेयर सेवाएं, इम्बेडेड साफ्टवेयर।
- पीसी, सर्वर इत्यादि जैसे आटो उपकरण उत्पादन यूनिट।
- रूटर्स, फायर वाल, स्विचेज आदि जैसे नेटवर्किंग उपकरण।
- आईटी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स घटक, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कालसेंटर आदि।
- टेलीफोन सेंटर– आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले केंद्र स्थापित करना अथवा आईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले केंद्र स्थापित करना।
- आईटी से जुड़ी सभी तरह की रोजगार सृजित करने वाली ग्रामीण प्रौद्योगिकियां।

किसलिए ले सकते हैं ऋण

इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी प्रकार की इकाई के लिए ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। यह ऋण नई इकाई स्थापना के लिए तो लिया ही जा सकता है साथ ही पुरानी इकाई के विकास के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

कौन ले सकता है ऋण

सरकार की ओर से ऋण लेने के लिए निश्चित प्रावधान किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ऋण योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं–

- सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के लिए ऋण एक या अधिक व्यक्तियों, समिति अथवा ट्रस्ट को प्राथमिक बैंक के उपनियमों के तहत संयुक्त रूप से दिया जा सकता है।
- ऋणी व्यक्ति संबंधित भूमि विकास बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी होना चाहिए। प्रस्तावित इकाई का स्थापना स्थल भी बैंक के कार्यक्षेत्र में होना चाहिए।
- ऋणी का प्रस्तावित इलाके के लिए आवश्यक योग्यताधारक एवं अनुभवी होना जरूरी है। केवल विशेष परिस्थितियों में वांछित योग्यता प्राप्त व अनुभवी व्यक्ति को इकाई में नियोजित करने के आधार पर भी ऋण दिया जा सकेगा।
- प्रस्तावित इकाई सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी प्रशिक्षण केंद्र की है तो उसका एफीलिएशन किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड/संस्था से होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को वांछित परीक्षा में बैठने एवं उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली डिग्री या प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त हो सके।
- यदि प्रस्तावित इकाई उत्पादन इकाई के रूप में हो तो उसको कच्चा माल निरंतर रूप से मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उत्पादन के विक्रय के लिए बाजार भी सुनिश्चित हो।
- यदि प्रस्तावित इकाई जॉबकार्ड इकाई है अथवा सेवा इकाई है तो उसको जॉब सेवा मिलना सुनिश्चित करें।
- प्रस्तावित इकाई के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे– बिजली, पानी, आवागमन व संचार के साधन आदि उपलब्ध होने चाहिए।
- ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति एवं इकाई के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्धारित सिक्युरिटी एवं जरूरी निजीय अंशदान उपलब्ध करा सके।

परियोजना व्यय

किसी भी परियोजना के लिए आय–व्यय का निर्धारण जरूरी होता है। इसके अभाव में बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी फ्लॉप साबित हो सकता है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी ऋण योजना में परियोजना व्यय के विभिन्न मद निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं–

- भवन निर्माण व्यय– बहुत जरूरी होने पर। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट में भवन निर्माण व्यय नहीं होना चाहिए। यदि विपरीत परिस्थितियों में हो तो भी वह न्यूनतम होना चाहिए।
- फर्नीचर क्रय–व्यय।
- प्रस्तावित यूनिट के लिए जरूरी सभी उपकरण क्रय–व्यय।
- राजकीय विभागों में जमा कराई जाने वाली सिक्युरिटी राशि।
- अन्य व्यय जो भी प्रस्तावित यूनिट की स्थापना व संचालन के लिए जरूरी हो।
- प्रारंभिक व्ययराशि।
- आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी।

ऋण के लिए मूलभूत सुविधाएं

इकाई की स्थापना के लिए मौके पर मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी है। इसके तहत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, संचालन, रखरखाव के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता यानी फैकल्टी का विवरण देना जरूरी है। इसी तरह परियोजना पर संचार, बिजली आदि के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है ताकि इन सुविधाओं के अभाव में प्रोजेक्ट की प्रगति प्रभावित न हो क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट पूरी तरह से संचार एवं बिजली पर आधारित होते हैं। ऐसे में इन सुविधाओं के अभाव में प्रोजेक्ट में नुकसान हो सकता है।

परियोजना रिपोर्ट

सूचना प्रौद्योगिकी ऋण योजना के तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संस्थान की क्षेत्र के अनुसार उपयोगिता, प्रवर्तकों की संचालन क्षमता, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, प्रारंभिक एवं परियोजना पूर्व खर्च, मदवार व्यय, प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कैश–फ्लो स्टेटमेंट, कार्यशील पूंजी की गणना एवं आर्थिक गणना आदि का होना जरूरी है। इकाई द्वारा प्रस्तावित सेवाओं के अनुसार आय एवं व्यय की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। यदि इकाई पहले से चल रही है तो पूर्व के वर्षों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दिया जाना बेहतर माना जाता था क्योंकि इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर चयन कमेटी लाभार्थियों का चयन करती है।

कितना मिल सकता है ऋण

इस योजना में उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया जाता है जिनकी कुल लागत 30 लाख से अधिक न हो। इसके अलावा ऋण लेने वाले को 15 से 20 फीसदी अंशदान जमा करना होता है।

कितने साल के लिए मिलता है ऋण

इस योजना के तहत लिए जाने वाले ऋण की अदायगी अवधि न्यूनतम तीन एवं अधिकतम 10 वर्ष होती है। इसमें अधिकतम 18 माह की ग्रेस अवधि भी शामिल है। ऋण का भुगतान परियोजना के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक किया जा सकता है। ग्रेस अवधि का आकलन भी परियोजना की आवश्यकता के आधार पर अधिकमत 18 माह तक किया जाता है। ग्रेस अवधि मे केवल ब्याज देय होगा।

ऋण की सिक्युरिटी

आवेदक प्रतिभूति के रूप में खुद के स्वामित्व की भारमुक्त भूमि, आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि अथवा भवन को शामिल कर सकता है। इसके अलावा चल संपत्ति में एनएससी, किसान विकास–पत्र अथवा प्राथमिक भूमि विकास बैंक में सावधि जमा को भी शामिल कर सकता है। इसमें भूमि का मूल्यांकन औसत विक्रय दर के आधार पर, भवन का मूल्यांकन कनिष्ठ व सहायक अभियंता अथवा सरकार से अनुमोदित अभियंता के आधार पर एवं चल संपत्ति का मूल्यांकन फेस वैल्यू पर अधिकतम 80 फीसदी तक किया जाता है। सिक्युरिटी के रूप में संबंधित संपत्ति को बैंक के पक्ष में बंधक करवाया जाता है।

कैसे स्वीकृत होता है ऋण

ऋण आवेदन–पत्र और परियोजना रिपोर्ट पेश करने पर बैंक अधिकारी उसकी जांच करता है। शीर्ष बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत शाखा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद शाखा सचिव प्राथमिक बैंक के प्रधान कार्यालय को पत्रावलियां भेजी जाती हैं। प्रतिभूति के संबंध में विधि सलाहकार की सलाह लेने के बाद उन पत्रावलियों को एप्रेजल कमेटी के पास भेजा जाता है जहां से एप्रेजल कमेटी इकाई का एप्रेजल कर स्वीकृति संबंधी अग्रिम कार्यवाही करती है। ऋण स्वीकृत होने के बाद संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति–पत्र जारी किया जाता है जिसमें ऋण राशि मदवार, किश्तों का विवरण, ब्याजदर, ऋण चुकाने की अवधि, अवधिपार राशि पर दंड स्वरूप ब्याजदर, धन का दुरुपयोग होने पर एकमुश्त वसूली, बीमा की अनिवार्यता आदि का उल्लेख रहता है। यदि पत्रावलियों में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो प्राथमिक बैंक द्वारा आवेदकों को अवगत कराया जाता है। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर 0.25 फीसदी की दर से प्रशासनिक शुल्क देय होता है। इसी तरह स्वीकृत ऋण राशि पर प्राथमिक बैंक द्वारा दो लाख तक की ऋण राशि पर पांच फीसदी एवं दो लाख से अधिक की ऋणराशि पर तीन फीसदी की हिस्सा राशि दी जाती है। निर्धारित अवधि में ऋण अदायगी न होने पर तीन फीसदी दर से दंडनीय ब्याज दर देनी पड़ती है। बैंक को यह अधिकार है कि ऋण राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर वह अगली किश्त रोक दे। साथ ही पूर्व में वितरित राशि की एकमुश्त वसूली भी कर सकता है।

ऋण राशि का भुगतान

ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक की ओर से फर्नीचर, कम्प्यूटर

एवं अन्य साजो–सामान के लिए सीधे सप्लायर को रेखांकित चैक जारी किया जाता है जबकि भवन निर्माण की स्थिति में तीन किश्त में भुगतान किया जाता है। इसमें नींव निर्माण पर पहली किश्त, छत निर्माण में दूसरी और फिनिशिंग स्तर पर तीसरी किश्त का भुगतान किया जाता है।

प्रोजेक्ट बीमा

बैंक ऋण राशि से स्थापित परियोजनाओं का कंप्रीहेंसिव बीमा करवाया जाता है। लाभार्थी खुद बीमा से संबंधित राशि जमाकर इसके बारे में बैंक को सूचित कर सकता है। यदि लाभार्थी बीमा की राशि जमा नहीं करता है तो बैंक खुद प्रीमियम की राशि जमा कर लाभार्थी के खाते में ऋण के नाम डेबिट कर सकता है। बीमा पालिसी में बैंक का नाम वित्तदाता की हैसियत से दर्ज कराया जाता है।

ऋण आवेदन के साथ दी जाने वाली पत्रावलियां

- प्रत्याभूति के रूप में पेश की गई भूमि व मकान का मूल दस्तावेज।
- कृषि भूमि देने पर उससे संबंधित अंतिम जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी और लेखपाल द्वारा प्रमाणित भूमि का नक्शा।
- आवासीय भूमि होने पर सब–रजिस्ट्रार का प्रमाण।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो प्रति में। कम्प्यूटर व अन्य मशीनरी खरीद के लिए डीलर का कोटेशन।
- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित कोटेशन।
- समिति अथवा ट्रस्ट होने पर उससे संबंधित पंजीयन–पत्र की सत्यापित प्रति। ऋण के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव।
- संस्था अथवा संचालक का अनुभव प्रमाणपत्र।
- बैंक एवं अन्य वित्तीय शाखाओं से किसी तरह का बकाया न होने का प्रमाणपत्र।
- दो जमानतदारों का सहमति–पत्र।
- केंद्र, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय से संबंधित अन्य प्रमाणपत्र, जिसे बैंक मांगे।

विस्तृत जानकारी कहां से ले

इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नाबार्ड अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट लगाने के बाद बरती जाने वाली सावधानियां

- प्रोजेक्ट के तहत ली गई ऋण राशि का किसी भी कीमत पर दुरुपयोग न होने दें।
- जिस मद के लिए जितनी राशि निर्धारित करें, उसमें उसी राशि को खर्च करें।
- बैंक से ली गई राशि को किसी दूसरे काम में कदापि न खर्च करें।
- ऋण अदायगी की किश्त में किसी तरह की कोताही न बरतें। अन्यथा एक बार किश्त के प्रभावित होने पर पूरा बजट गड़बड़ा सकता है और लाभार्थी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- प्रोजेक्ट से पहले विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त करें। जब तक ऋण अदा न हो जाए, पैसे के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें।

इस तरह देखा जाए तो अन्य ऋण योजनाओं की अपेक्षा यह योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए काफी बेहतर मानी जा रही है। राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से इसका व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है। इस नई योजना से हजारों युवाओं को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि यह पूरी तरह से युवाओं, छात्रों, नौजवानों के लिए तैयार की गई है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : vijayjpr@yahoo.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

किसानों का मददगार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक

चन्द्रभान

"राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से चलाई जा रही योजनाएं खासतौर से ग्रामीणों और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इन योजनाओं से किसी न किसी रूप में हर ग्रामीण लाभान्वित हो रहा है। बैंक ने अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग योजनाएं लागू करके सभी को किसी न किसी रूप में जोड़ रखा है। राजस्थान के किसान इन योजनाओं के जरिए न सिर्फ अपनी खेतीबाड़ी को समृद्ध कर रहे हैं बल्कि राज्य एवं देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं।"

किसानों एवं ग्रामीणों को विभिन्न स्तरों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक खोला गया है। नाबार्ड सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की ओर से बनाए जा रहे कार्यक्रमों को सहकारी भूमि विकास बैंक के जरिए लाभान्वित किया जाता है। राज्य के कृषकों को उनके कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण एवं क्रेडिट निर्धारित ऋण नीति के अन्तर्गत मुहैया कराए जाते हैं। इन बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाके में बहुत ही सुलभ तरीके से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकी है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न मदों के जरिए इन बैंकों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है और ये बैंक आम जन की जरूरतों को पूरा कर उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। साथ ही ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन बैंकों के पास सभी क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। आवेदक जिस भी क्षेत्र में कारोबार करना चाहे, उसके लिए ये बैंक खुले हाथ से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि राज्य सहकारी बैंकों की योजनाएं ज्यादातर हर राज्य में चल रही हैं। बस वहां की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। यदि हम राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक की विभिन्न योजनाओं पर गौर करें तो वे हर वर्ग को किसी न किसी रूप में लाभान्वित कर रही हैं।

राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में हुई थी। उसके पश्चात 1928 में ब्यावर में भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में ग्रामीण साख सर्वे कमेटी द्वारा सिफारिश की गई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित योजनाबद्ध विकास की अवधारणा के अंतर्गत भूमि बंधक बैंकों को कृषि क्षेत्र में उत्पादन हेतु ऋण उपलब्ध कराने चाहिए। ग्रामीण साख सर्वे कमेटी की सिफारिशों के क्रम में राजस्थान भूमि बंधक अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य भूमि बंधक बैंकों की स्थापना हुई। 1956 में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत 'बंधक' शब्द के स्थान पर 'विकास' शब्द का उपयोग प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार भूमि बंधक बैंकों का नाम बदलकर राज्य भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक किया गया। राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च, 1957 को हुई। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। राजस्थान में इन दिनों 36 भूमि विकास बैंक अपनी 131 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरित कर रहे हैं। राज्य भूमि विकास बैंक के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर में स्थापित हैं। इन कार्यालयों के जरिए जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिलहाल इस बैंक की ओर से ग्रामीण स्तर पर हर व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं–

लघु सिंचाई योजनाएं

इस योजना में किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए ऋण दिया जाता है। वर्तमान में प्रमुख रूप से 10 लघु सिंचाई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं समय–समय पर संचालित की जाती हैं।

- नलकूपडगवैल/डगकमबोरवैल/केविटिपाइप/बोरवैल योजना
- कृषकों को पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप डगवैल, डगकमबोरवैल, केविटी पाइपबोर वैल/नलकूप/कूपगहरा एवं कुओं पर डीजल/विद्युत पम्पसैट के लिए 9 से 15 वर्ष की अवधि एवं अनुग्रह अवधि 23 माह के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- **नलकूप/बोरवैल पम्पसैट योजना** – पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप/बोरवैल सबमर्सीबल पम्पसैट के लिए 12 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अनुग्रह अवधि 23 माह है।
- **कूप गहरा योजना** – जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों के कुओं की खुदाई एवं बोरिंग द्वारा कूप गहरा कराने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- **डीजल/विद्युत पम्पसैट योजना** – इस योजना में जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जलदोहन के लिए डीजल/विद्युत पम्पसैट खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अदायगी 9 वर्ष में करनी होती है।
- **बूंद–बूंद सिंचाई योजना** – इस योजना के तहत पानी की महाबचत– सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि, उद्यान विभाग द्वारा डिप सैट पर अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका भुगतान 10 से 15 वर्ष में होता है एवं 11 माह की अनुग्रह अवधि निर्धारित की गई है।
- **फव्वारा सिंचाई योजना** – पानी की बचत, असमतल भूमि पर भी खेती, सिंचाई क्षेत्रों का विस्तार, फव्वारे द्वारा सिंचाई के साथ ही फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी संभव, अनुदान योग्य केसेज में अनुदान सुविधा ऋण 10 से 15 वर्ष, 11 माह की अनुग्रह अवधि।
- **डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना** – नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध।
- **पाईपलाईन योजना** – भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एवं खेतों में पानी पहुंचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइपलाईन ऋण हेतु 9 वर्ष की अवधि–अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध।
- **विद्युतीकरण योजना** – डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित

नलकूप/ डगकम बोरवैल/कैविटी पाईप बोरवैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मांग–पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा ₹ 50000 से ₹ 1 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय तथा कुओं पर डीजल पम्पसैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युतमोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था।

- **मुख्यमंत्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षेत्र जलधारा योजना** – इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षेत्रों के साथ–साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षेत्र के सभी श्रेणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्देश्यों के तहत राज्य के 6 जिलों में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जलधारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा दी जा रही है। इसकी अवधि 9 से 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

विविधिकृत ऋण योजनाएं

चूंकि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने अपनी ऋण योजनाओं को अलग–अलग श्रेणी में बांट रखा है। योजनाओं में किसी तरह की घालमेल न होने पाए और उनका लाभ सही लाभार्थी को मिले, इसके लिए भी श्रेणीबद्ध किया गया है। विविधिकृत ऋण योजना में पशुपालन से जुड़े कारोबार को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत छोटी एवं बड़ी 23 योजनाएं चलाई जा रही हैं जो निम्नलिखित हैं–

- **डेयरी विकास :** कृषक के जीवन–स्तर में सुधार के लिए कृषि आय के साथ–साथ उनके फार्म से सहआय प्राप्त करने हेतु डेयरी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसकी अवधि 5 से 6 निर्धारित की गई है।
- **पोल्टी फार्म :** कृषक के जीवन–स्तर में सुधार के लिए कृषि आय के साथ–साथ उनके फार्म से सहआय प्राप्त करने के लिए पोल्टीफार्म खुलवाए जाते हैं। इसके लिए 5–7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **मछलीपालन :** कृषक को जीवन–स्तर में सुधार के लिए कृषि आय के साथ–साथ उनके फार्म से सहआय प्राप्त करने हेतु मछली पालन उद्देश्य हेतु ऋण सुविधा 7 वर्ष की अवधि हेतु, एक वर्ष अनुग्रह अवधि के लिए उपलब्ध।
- **सूअर पालन :** कृषक के जीवन स्तर में सुधार के लिए कृषि आय के साथ–साथ उनके फार्म से सहआय प्राप्त करने हेतु सूअर पालन उद्देश्य हेतु ऋण सुविधा 5 वर्ष की अवधि हेतु, एक वर्ष अनुग्रह अवधि के लिए उपलब्ध।
- **भेड़ बकरी पालन :** कृषक के जीवन–स्तर में सुधार के लिए कृषि आय के साथ–साथ उनके फार्म से सहआय प्राप्त करने हेतु भेड़–बकरी पालन उद्देश्य हेतु ऋण सुविधा 5 वर्ष की अवधि, एक वर्ष अनुग्रह अवधि के लिए उपलब्ध।
- **उद्यानिकी योजनाएं :** निरन्तर घटती जोत से प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम आय अर्जित करने हेतु विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध, ऋण हेतु कृषकों के पास सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था आवश्यक। योजनान्तर्गत विभिन्न फलों व फूलों के बाग लगाने हेतु ऋण 3 से 10 वर्ष, 3–7 वर्ष की अनुग्रह अवधि।
- **भारवाहक पशु एवं पशुचालित गाड़ियां :** फसल कटाई के उपरांत आगामी फसल तक के खाली समय में एवं घर के बेरोजगार नवयुवकों को कार्य में लगाते हुए आय प्राप्त करने के लिए भारवाहक पशु एवं पशुचालित गाड़ियों हेतु बैंक द्वारा ऋण सुविधा 5 वर्ष हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- **कच्चा हौज सिंचाई योजना :** विद्युत आपूर्ति में कमी से निजात– जल स्रोत के विवेकपूर्ण एवं सामयिक उपयोग की दृष्टि से पानी का हौज निर्माण करवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अवधि 9 वर्ष, जिसमें एक वर्ष का ग्रेस पीरियड शामिल।
- **पक्का फार्म पौण्ड निर्माण योजना :** विद्युत आपूर्ति में कमी से निजात– जलस्रोत के विवेकपूर्ण एवं सामयिक उपयोग की दृष्टि से पानी का हौज निर्माण करवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अवधि 9 वर्ष, जिसमें एक वर्ष का ग्रेस पीरियड शामिल किया गया है।
- **भूमि सुधार योजना :** कृषक को अपने फार्म को खेती योग्य बनाने के लिए भूमि समतलीकरण, तारबन्दी, पक्की दीवार, क्षारीयता का उपचार, आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मशीनरी हेतु स्वीकृत राशि का भुगतान लाभार्थी के अधिकार पत्र पर सीधे बैंक द्वारा फर्म को देय होता है। ऋण का भुगतान 9 वर्ष में वार्षिक किश्तों में करना होता है।
- **वर्मी कम्पोस्ट :** कृषि अवशेष/वानस्पतिक कचरे, गोबर मिट्टी एवं किसान मित्र केंचुए का उपयोग करते हुए वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण का भुगतान 5 वर्ष में करना होता है। इसमें अनुग्रह अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है।
- **रेशम कीट पालन :** रेशम कीट पालन करके रेशम कोकून तैयार करने के लिए ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है। ऋण का भुगतान 5 वर्ष में वार्षिक किश्तों में करना होता है।
- **मधुमक्खी पालन :** पुष्पीय/उद्यानिकी फसलों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन हेतु ऋण उपलब्ध, मधुमक्खी पालन द्वारा शहद/मोम /अतिरिक्त कॉलोनी के साथ फसलोत्पादन में वृद्धि, न्यूनतम 10 मधुमक्खी बक्सों के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम बीस लाख तक ऋण दिया जाता है। ऋण की अदायगी 5 वर्ष में वार्षिक किश्तों के आधार पर करनी होती है।
- **हरा चारा उत्पादन :** सिंचाई की सुनिश्चितता होने पर रिजका की खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें स्वयं

के पशुओं/हरे चारे के बेचान के लिए रिजका की खेती पर 10000 रूपये प्रति एकड़ की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण अदायगी का समय तीन वर्ष निर्धारित है।

- कृषि स्नातकों को अपने स्वयं के कृषि क्लिनिक एवं कृषि उद्योग खोलने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कृषि स्नातकों को गतिविधि विशेष का समुचित अनुभव आवश्यक– ऋण का भुगतान गतिविधि विशेष से होने वाली आय के अनुसार– कृषि स्नातक के स्वयं के नाम से कृषि भूमि/अचल सम्पति नहीं होने पर पिता/माता/नजदीकी रिश्तेदार की कृषि भूमि/अचल सम्पत्ति पर भी ऋण 5 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज/ कृषि उत्पाद को खराब होने से बचाने एवं उसके समुचित रखरखाव व भण्डारण के लिए योजनान्तर्गत बैंक एन्डेड पद्धति से किश्तों में ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को 25 फीसदी अंशदान एवं अनुदान 25 फीसदी एवं अनुसूचित जाति–जनजाति के किसान को 20 फीसदी योगदान एवं अनुदान 33 फीसदी देना होता है। गोदाम निर्माण कार्य 15 माह में पूर्ण होना आवश्यक। गोदाम निर्माण नगरपालिका क्षेत्र के बाहर किया जाएगा। अधिकतम 10,000 मीट्रिक टन तक ऋण सुविधा 11 वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

- **औषधीय पादप योजना :** राज्य की उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन औषधीय पादपों जैसे सफेद मूसली, गवारपाठा, गूग्गल आदि की खेती हेतु ऋण सुविधा 3 से 5 वर्ष के लिए दी जाती है।
- **जैटोफा प्लांटेशन योजना :** जैटोफा अर्थात रतनजोत एक बहुत ही बहुमूल्य पौधा है। इसके विभिन्न भाग सौन्दर्य प्रसाधन, रंगाई, मोमबत्ती, साबुन व प्लास्टिक निर्माण के काम आते हैं। प्रमुख रूप से इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जोकि डीजल के विकल्प के रूप में काम में आता है। इसे बायोडीजल भी कहते हैं। इसके लिए एक हेक्टेयर की इकाई हेतु 10500 रुपये से 16200 रुपये तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है।
- **मिट्टी/पानी जांच लैब स्थापना :** कृषकों का फसलोत्पादन बढ़ाने हेतु मिट्टी/पानी की जाँच के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने के लिए लैब की स्थापना के लिए ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम 5 लाख तक की ऋण सुविधा 8 वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- **वेन्चर कैपिटल फंड योजना :** राज्य में डेयरी/पोल्ट्री उद्देश्य की चयनित गतिविधियों हेतु नाबार्ड द्वारा विशेष योजना प्रारम्भ की गई है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें निवेश की 50 प्रतिशत राशि पर ब्याज दर शून्य रहता है, जबकि नियमित भुगतान होने पर शेष राशि पर देय ब्याज की 50 प्रतिशत राशि कृषक को लौटा दी जाएगी। प्रभावी ब्याज दर 3–4 प्रतिशत वार्षिक होगी। ऋण की अवधि 3 से 8 वर्ष होगी।
- **कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि खरीदने के लिए ऋण सुविधा:** कृषकों के कार्यकलापों के विस्तार एवं छोटी और सीमान्त जोतों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने हेतु कृषि भूमि क्रय करने के लिए ऋण सुविधा, यह सुविधा ऐसे लघु और सीमान्त कृषकों के लिए है जिनके पास इस योजना में खरीदे जाने वाली कृषि भूमि को मिलाकर कुल कृषि भूमि अधिकतम 5 एकड़ असींचित भूमि या ढाई एकड़ सींचित भूमि है, कृषक को क्रय की जा रही भूमि की लागत का 20 प्रतिशत मूल्य स्वयं द्वारा वहन करना होगा।
- **कृषि विपणन आधारिक संरचना :** फसल कटाई के बाद विभिन्न कृषि उत्पादों/विपण्य अधिशेष के प्रबन्धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विपणन आधारिक संरचना के विकास के लिए यह योजना तैयार की गई है। यह योजना सुधार से संबंधित है और आधारिक संरचना परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाएगी जो प्रत्यक्ष विपणन एवं संविदा कृषि की अनुमति और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में कृषि मण्डियों की स्थापना की अनुमति देते हैं।
- **केन्द्र प्रायोजित भेड़ एवं बकरी पालन योजना :** भेड़ एवं बकरियों का पालन अत्यधिक गरीब ग्रामीणों द्वारा किया जाता है और ये पशु हमारे समाज को मांस और खाद प्रदान करते हैं। ये पशु विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल होते हैं, तथापि उस क्षेत्र के पिछड़े होने के मुख्य

भारत रत्न बाबासाहेब

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

की 120वीं वर्षगांठ पर

राष्ट्र का सादर नमन

davp 22202/13/0001/1112

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

KH-32/2011

कारणों में अत्यन्त निर्धन लोगों को इस क्षेत्र की भूमिका की कम जानकारी, योजनाकारों/वित्तीय एजेंसियों के द्वारा ध्यान के अभाव और पशुओं की उत्पादकता सुधारने की दिशा में कम ध्यान दिया जाना शामिल है। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान छोटे रोमन्थक भेड़ एवं बकरी के समन्वित विकास हेतु जोखिम पूंजी निधि के साथ एक योजना शुरू की जाए। इस योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 5–1 में यथा उल्लिखित विभिन्न घटकों के लिए कुल वित्तीय परिव्यय टीएफओ पर आधारित ब्याजमुक्त ऋण आईएफएल प्रदान किया जाएगा।

जनमंगल आवास योजना/ग्रामीण आवास ऋण योजना

प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने, बेरोजगारी दूर करने, महिलाओं को विकास में भागीदार बनाने, उद्योग–धंधों को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋण क्षमता के मानदण्डों के अन्तर्गत राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्राथमिक भूमि विकास बैंक ऋण वितरण करते हैं। प्रार्थी के नाम से स्वयं के स्वामित्व का भूखण्ड/निर्मित भवन होना चाहिए। यदि आवास निर्मित करना है तो आवास इकाई की लागत बीस लाख से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावित निर्माण की लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। ऋण का भुगतान तीन किस्तों में 30–40– 30 के अनुपात में किया जाएगा। ऋण के चुकाने की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होगी जिसमें अधिकतम 18 माह की ग्रेस अवधि सम्मिलित है।

सहायता योजनाएं

विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण लेने के बाद यदि किसी कारणवश लाभार्थी असफल होता है तो भी उसे आर्थिक रूप से सहायता का प्रावधान है। इसके तहत सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

- असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से निर्मित कूप असफल होने पर क्षतिपूर्ति सहायता देय होती है। इसके लिए बाकायदा मापदंड निर्धारित किया गया है। रबी की फसल के समय 24 घण्टों में कम से कम दो घण्टे इसकी पानी की निकासी 2 लीटर प्रति सेकण्ड से कम हो यानी कुएं की जल निकास क्षमता पर्याप्त नहीं हो, पानी की रासायनिक गुणवत्ता कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो, खुदाई के दौरान कुएं की दीवारें ढह जाने से नीचे पानी निकालना सम्भव नहीं हो, यदि भूमिगत जल उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं हो, डगवेल/डगकम बोरवेल जो लघु सिंचाई योजनाओं में निर्दिष्ट गहराई तक खोदा गया हो किन्तु किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वह ढह जाए या नष्ट हो जाए, आदि।
- असफल नलकूप सहायता योजना – भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर निर्मित नलकूपों के असफल होने पर एक अप्रैल, 2005 से राज्य बैंक द्वारा असफल नलकूप क्षतिपूर्ति योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नलिखित दो आधारों पर नलकूप को असफल माना जाएगा। पहली श्रेणी में नलकूप के निर्माण के दौरान अथवा निर्माण के पश्चात 30 दिनों की अवधि में नलकूप में गहराई पर पाई गई अपेक्षाकृत कमजोर परत के ढह जाने पर या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नलकूप के ढह जाने पर जिसका आगे उपयोग सम्भव नहीं हो। दूसरी श्रेणी में नलकूप से प्राप्त भूजल की रासायनिक गुणवत्ता कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त नहीं पाए जाने पर।
- बैंक के ऋणी कृषक की दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता हो जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी से भुगतान दुर्घटना हेतु मृत्यु हो जाने की स्थिति में 50,000 रु. क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमा कम्पनी द्वारा देय होता है। बीमा प्रीमियम हेतु ऋणी से मात्र 7 रुपये प्रतिवर्ष की दर से लिए जाएंगे। दुर्घटना होने के 15 दिवस एवं मृत्यु होने के 30 दिवस में संबंधित सूचना प्राधिकृत कार्यालय को दिया जाना आवश्यक है। भुगतान दावा प्रस्तुत होने के 30 दिवस की अवधि में भुगतान कर दिया जाएगा।

ट्रैक्टर – नकद ऋण वितरण योजना

राज्य के भूमि विकास बैंकों द्वारा नाबार्ड की ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी ऋण नीति के अनुसार अब तक लाभार्थियों के पक्ष में स्वीकृत ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी ऋण का उनकी सहमति के आधार पर बैंक द्वारा सीधे ही ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाने वाली फर्म/विक्रेता को भुगतान कर दिया जाता था। क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार यह अनुभव किया गया कि नकद राशि से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों को विक्रेताओं द्वारा ट्रैक्टर के अधिकतम बिक्री मूल्यों पर बैंक ऋण से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों की अपेक्षा अधिक नकद छूट दी जाती है। बैंक ऋण से ट्रैक्टर क्रय करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक हानि न हो तथा वे अपने मनपसन्द मेक/मॉडल के ट्रैक्टर क्रय कर सके इसके लिए प्रस्तावित नकद क्रय योजना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास कम से कम 6 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि अथवा समकक्ष मूल्य की बारानी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। ऋण प्रार्थनापत्र के साथ कृषक/कृषकों को केन्द्रीय सहकारी बैंक में खोले गये बचत खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न की जाती है। यदि प्रार्थी का बचत खाता खुला हुआ नहीं है तो उसे केन्द्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर बचत खाता संख्या एवं पासबुक की फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करानी होगी।

संयुक्त ऋण के मामले में सभी ऋणियों के नाम से संयुक्त खाता खुलवाना होगा। कृषक की ऋण भुगतान क्षमता का निर्धारण वर्तमान फसलोत्पादन से प्राप्त बढ़ी हुई आय एवं कस्टम हायरिंग से प्राप्त आय के आधार पर ही किया जाएगा। ट्रैक्टर ऋण स्वीकृति से पूर्व प्रार्थी की ऋण चुकौती क्षमता आंकलन के लिए क्षेत्र विशेष में सम्भावित वास्तविक कस्टम हायरिंग से प्राप्त आय अधिकतम 45,000 रु. तक आंकी जाएगी। कम्पनियों के विभिन्न मेक/ मॉडल के बाजार मूल्य का आंकलन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने स्तर से विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य, डीलर्स द्वारा जारी इनवाईस/ वाउचर, बिल पर होने वाली विशेष छूट आदि की जानकारी तथा बैंक अपने स्तर से किए गए प्रयासों से अधिकतम बिक्री मूल्य में जो कमी करवाई है उसको ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य का आंकलन किया जाएगा। ऋण लेने वाले कृषक द्वारा भी अपने स्तर से उसकी पसन्द के ट्रैक्टर के बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा कृषक द्वारा अपनी जानकारी के आधार पर अपने ऋण आवेदन–पत्र में बाजार मूल्य का अंकन किया जाएगा। निर्धारित मूल्य के 90 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि ऋण क्षमता एवं ऋण भुगतान क्षमता पर्याप्त बनती हो। बैंक ऋण वितरण करते समय चैक पर लाभार्थी के नाम के साथ–साथ बचत खाता संख्या एवं सम्बन्धित बैंक का नाम भी अंकित करेगा।ट्रैक्टर एवं कृषि यन्त्रों के लिए बैंक द्वारा आंकलित मूल्य का 10 प्रतिशत ऋणी द्वारा स्वयं के वित्तीय साधनों से वहन किया जाएगा। शेष 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते कि ऋण क्षमता पर्याप्त बनती हो।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : chandarbhanosx@gmail.com

बाल भारती

जून-2011

विज्ञान विशेषांक

अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011 के उपलक्ष्य में
रसायन विज्ञान पर विशेष सामग्री
एक प्रति : ₹ 12
वार्षिक चंदा : ₹ 80

अपनी प्रति सुरक्षित कराने के लिए आज ही अपने समाचारपत्र एजेंट से या निम्न पते पर सम्पर्क करें:-

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी ब्लॉक–4, लेवल–7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
फोन–011–26100207, 26105590 ईमेलः pdjucir_jck@yahoo.co.in

ग्रामीण विकास में संस्थागत ऋणों की भूमिका

डॉ. अनिता मोदी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वाधिक है। 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि व संबंधित क्रियाओं से ही अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अतः कृषि का विकास करके ही ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना संभव है। इस तथ्य को देखते हुए सहकारी समितियों के द्वारा कृषि विकास करके कृषकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन, लघु कृषकों को ऋण में प्राथमिकता तथा किसानों में बचत-प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु सहकारी समितियों ने विशेष कदम उठाए। इन सबके बावजूद भी सहकारी समितियां किसानों की वित्त संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरी करने में आंशिक सफल हुई हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्र स्वतंत्रता के समय बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों की सुविधाओं से वंचित थे। वित्त व्यवस्था का प्रावधान नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता व आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित होने के साथ ही देश में ग्रामीण ऋण व्यवस्था का दायित्व सहकारी संस्थानों को सौंपा गया था। भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ ही देश में सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय स्तूपाकार ढांचा तैयार किया गया। ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियां हैं जो मुख्य रूप से एक वर्ष के लिए उत्पादन कार्यों हेतु ऋण प्रदान करती हैं, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (केन्द्रीय बैंक) तथा राज्य स्तर पर शीर्षस्थ बैंक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1936–37 में कराए गए अध्ययनों से यह सच्चाई सामने आई कि कृषि ऋणों में सहकारी समितियों की भूमिका नगण्य थी तथा अधिकांश किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महाजनों व साहूकारों पर निर्भरता बनी हुई थी। वर्ष 1951 में भी कुल कृषि ऋणों में सहकारी क्षेत्र

का योगदान महज 3.3 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बैंकों का 0.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक ने सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत व सशक्त बनाने हेतु अनेक कदम उठाए जिनकी वजह से वर्तमान में सहकारी संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश में सहकारी साख समितियों का विकास मूल रूप से समाज के कमजोर वर्गो को आत्मनिर्भर बनाने व मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त करवाने हेतु किया गया है। इन संस्थाओं का मूल मंत्र ''प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए'' है। ये समितियां ग्रामीणजनों को बैंकिंग सुविधाओं की परिधि में समावेशित करते हुए 'वित्तीय समावेशन' की प्रक्रिया को मूर्त रूप प्रदान करने का भागीरथ प्रयास कर रही है। ग्रामीण सहकारी समितियां कमजोर वर्गों के लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ व मजबूत करने में संलग्न हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लघु व सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, स्वयंसहायता समूहों, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे उपेक्षित व पिछड़े वर्गों को बैंकिंग क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है जोकि 'ग्रामीण विकास' की प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए जरूरी है। माइक्रो फाइनैंस तथा किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन में भी सहकारी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। ग्रामीण सहकारी समितिया लोकतांत्रिक पद्वति से कार्य संचालन करते हुए भू–विकास, उत्पादकता, रोजगार अवसरों के सृजन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण गरीबों के विकास को सुनिश्चित करते हुए 'सामाजिक न्याय तथा न्यायसंगत वितरण' के मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं–

ग्रामीण सहकारी साख समितियों की प्रगति		
	प्राथमिक कृषि	साख समितियां
वितरण	2004	2005
संख्या (लाख ₹)	1.12	1.09
सदस्य संख्या (करोड़ ₹)	12.36	12.74
ऋणी (करोड़ ₹)	6.39	4.51
स्वामित्व कोष (करोड़ ₹)	8198	9197
जमाएं (करोड़ ₹)	19120	18976
ऋण (करोड़ ₹)	30278	40429
ऋण निर्गमन (करोड़ ₹)	33996	39212

सहकारी समितियों के द्वारा कृषि विकास करके कृषकों के जीवन–स्तर में सुधार लाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन, लघु कृषकों को ऋण में प्राथमिकता तथा किसानों में बचत–प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु सहकारी समितियों ने विशेष कदम उठाए। इन सबके बावजूद भी सहकारी समितियां किसानों की वित्त संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आंशिक सफल हुई हैं। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इस स्थिति के लिए सहकारिता के ढांचे व प्रशासन में कमी, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव, सहकारी समितियों की अपर्याप्त धनराशि, लघु कृषकों की उपेक्षा, साहूकारों से प्रतिस्पर्धा आदि तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों की निर्बल व कमजोर स्थिति, समितियों द्वारा किसानों को आवश्यकता से कम ऋण प्रदान करना तथा ऋण एजेंसियों के मध्य सहयोग व समन्वय का अभाव आदि तत्व भी सहकारी ऋण व्यवस्था के सफलता के मार्ग को बाधित कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं से लैस करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ग्रामीण विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए इन बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए। अग्रणी बैंक योजना के तहत भी प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक

को आवंटित जिले में बैंकिंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में वर्ष 1980 में निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ग्रामीण वित्त व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय ऋणों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए कुल ऋणों का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया। इसी भांति 1 अप्रैल, 1989 को 'सेवा क्षेत्र योजना' को क्रियान्वित करके ग्रामीण ऋणों की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीणजनों में बचत–प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित होने से ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, कृषि व इससे संबंधित विविध क्रियाओं के लिए ऋण व्यवस्था सुलभ होने से कृषि विकास, कृषि यंत्रीकरण व आधुनिक कृषि की धारणा मजबूत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ऋण की अभिवृद्वि हेतु अनवरत प्रयास किए जाने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों हेतु साहूकारों पर निर्भरता में अपेक्षित कमी दर्ज नहीं की गई जिसको निवारित करने हेतु 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' की स्थापना का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 20 अक्टूबर, 1975 को 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' की स्थापना की गई। निसंदेह रूप से ग्रामीण व कृषि विकास हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बैंक कृषि श्रमिकों, लघु, कुटीर तथा दस्तकारी उद्यमियों तथा लघु व सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किन्तु सच्चाई यह है कि वर्तमान में ये बैंक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा, कमजोर पूंजी आधार, अनर्जक आस्तियों का उच्च प्रतिशत, समन्वय का अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्तता आदि चुनौतियों से जूझ रहे है। निसंदेह रूप से, इन चुनौतियों का शीघ्र समाधान करके ही ग्रामीण विकास में इन बैंकों की प्रासंगिकता व सार्थकता को बढ़ाया जाना संभव है।

ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत व तीव्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण ऋण की व्यवस्था के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने, वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रीय बैंकों को पुर्नवित्त व वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत ऋण व्यवस्था का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इस संस्थान के कंधों पर सहकारी ऋण संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों व सहकारी संस्थाओं को मार्गदर्शन व वित्त प्रदान करने में नाबार्ड ने वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी नवोन्मेषी योजना का सूत्रपात किसानों को बैंक ऋण समय पर प्रदान करने तथा ऋणों में अधिक लचीलापन लाने हेतु किया है।

इस संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग हेतु शहरी क्षेत्रों से धन जुटाने की व्यवस्था की जाती है। नाबार्ड बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं तथा राज्य सरकारों को लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि ऋण प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ग्रामीण बेरोजगार युवकों में क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन हेतु नाबार्ड के द्वारा 'आरईडीपी' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी भांति, गरीब महिला वर्ग की ऋण व्यवस्था हेतु स्वयंसहायता समूहों का सूत्रपात, सूक्ष्म ऋण तथा विपणन व्यवस्था, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व कौशल विकास व्यवस्था करते हुए नाबार्ड महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। नाबार्ड ई–गवर्नेंस, ई–मेल जैसी सुविधाओं से गांवों को लैस करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग के साथ समन्वित रूप से 'सामान्य सेवा केन्द्रों' की स्थापना में योगदान दे रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वरोजगाार क्रेडिट कार्ड व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए नाबार्ड 'ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था' करने हेतु कृत संकल्पित है। यही नहीं, ग्रामीण विकास के लिए अनुदानों और उदार ऋणों की व्यवस्था करने हेतु नाबार्ड ने गत वर्षों में अनेक प्रकार के विशेष उद्देश्य केन्द्रित कोष स्थापित किए हैं। इस प्रकार से नाबार्ड वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, महिला विकास, सूक्ष्म वित्त संस्थानों तथा स्वयंसहायता समूहों के विकास, गांवों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए गांवों को विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने का प्रयास कर रहा है।

गौरतलब है कि गांवों में गरीबी एवं बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु संचालित अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकों व सहकारी संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इनमें से अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंकों के द्वारा प्रदत्त ऋणों, निगरानी व्यवस्था तथा जानकारी की भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वयंसहायता समूह कार्यक्रम आदि के सफल संचालन में बैंकिंग तथा सहकारी क्षेत्र सक्रिय योगदान देते हुए ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से सरकार महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 'वित्तीय व्यवस्था' का प्रावधान करते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त स्वयंसहायता समूहों के गठन तथा उनकी बैंकों से सहसम्बद्धता का लक्ष्य निर्धारित करती है ताकि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ग्रामीण विकास की अवधारणा को सशक्त किया जा सके। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि गरीब वर्ग व विशेष रूप से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने, उनको गरीबी के मकड़जाल से बाहर निकालने के दृष्टिकोण से स्वयंसहायता समूहों तथा लघु वित्त संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। 'लघु वित्त' का प्रावधान होने से गरीब वर्ग को साहूकारों व महाजनों के ऋण–जाल से मुक्त होने के साथ ही शारीरिक शोषण, मानसिक यंत्रणा व सामाजिक उत्पीड़न के दंश से भी कुछ हद तक विमुक्ति मिल रही है। इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 'लघु वित्त' गरीब वर्ग के हाथों में एक 'दुधारी तलवार' है जिसका उपयोग उत्पादक व प्रभावी ढंग से करने पर वह 'वरदान' साबित हो सकती है। इसके विपरीत, ऋण का उपयोग या उपभोग अनुत्पादक कार्यों के लिए करने पर यह 'आत्महत्या' का फंदा बन जाता है। अतः यह आवश्यक है कि गरीब वर्गों के लिए प्रारम्भ की गई 'लघु वित्त प्रणाली' को अधिक सार्थक व प्रभावी बनाया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को 'स्वरोजगार' उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भी बैंकों की भूमिका उल्लेखनीय है। इन बेरोजगार युवकों को 'स्वरोजगार' हेतु बैंकों के द्वारा उदार शर्तों पर ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है तथा साथ ही 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान' के माध्यम से 'प्रशिक्षण व्यवस्था' का प्रावधान किया गया है। इस योजना की बदौलत अनेक ग्रामीण युवा स्वरोजगार में संलग्न होकर न केवल ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं अपितु गांवों से शहरों की तरफ पलायन वृत्ति पर भी लगाम कस रही है। निसंदेह रूप से देश में सार्वजनिक क्षेत्र में संकुचित होते रोजगार अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए 'स्वरोजगार कार्यक्रम' बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है बशर्ते बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों व सहकारी संस्थाओं का इस योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग व निर्देश हो।

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह अत्यावश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए। विकास में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन में बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रशिक्षत शिक्षित बेरोजगारों को गांवों में कियोस्क स्थापित करने हेतु बैंक आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करते हुए गांवों को भी सूचना प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रयासरत हैं।

कृषि क्षेत्र के विकास व व्यायसायीकरण में बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संकटों से निपटने, कृषि भूमि–सुधार, कृषि यंत्रों की खरीद, बीज, उर्वरक आदि के क्रय हेतु ऋणों की सहज व समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बैंक व सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयासरत हैं। यही नहीं फव्वारा सिंचाई पद्धति व लघु सिंचाई व्यवस्थाओं हेतु ऋण का प्रावधान करके बैंकिंग संस्थाएं कृषि में जोखिम कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं। लघु सिंचाई व्यवस्था, फार्म पौण्ड तथा वाटरशेड के माध्यम से कृषि में उत्पादकता बढ़ने से किसानों के आय व जीवन–स्तर में अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

इन सब सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण गरीबों तक 'बैंकिंग पहुँच' सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक में खाते भी नहीं है। इसी प्रकार से, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 59 के दौर में इस निराशाजनक परिदृश्य की ओर संकेत किया है कि कृषक परिवारों के कुल 27 प्रतिशत को ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है और लगभग 22 प्रतिशत ऋणों हेतु अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। शेष 51 प्रतिशत, जिनमें से अधिकांश सीमान्त कृषक है, के पास ऋण प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व कमजोर लोगों को बैंकों से जोड़ने तथा ऋण प्रदान करने के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाए। सहकारी बैंकों की पूंजीगत संरचना को मजबूत बनाकर, ऋण सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करके, ऋण प्रदाता विविध एजेंसियों व बैंकों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना संभव है। ऐसा करके ही देश को गरीबी व बेरोजगारी के दंशों से विमुक्त करके 'समावेशी विकास' की अवधारणा को वास्तविक अर्थों में प्राप्त करना संभव है। सर्वविदित तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के माध्यम से ही देश के संतुलित विकास व न्यायपूर्ण वितरण की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना संभव है तथा तभी देश औद्योगिक राष्ट्रों की कतार में पंक्तिबद्ध हो पाएगा।

(लेखिका जी.एस.एस.गर्ल्स (पी.जी.) कॉलेज चिड़ावा के अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हैं।)
ई–मेल : anita3modi@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

पपीते की वैज्ञानिक खेती

डॉ. ब्रजेश कुमार

पपीते की खेती व्यावसायिक मानी जाती है क्योंकि पपीते की खेती से किसानों को नकद मुद्रा प्राप्त होती है। किन्तु यह एक ऐसा फल है जिसकी खेती प्रायः समुन्नत ढंग से सम्पन्न की जा सकती है। किन्तु यदि पपीते की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी। पपीते की सफल बागवानी हेतु गहरी और सामान्य पी.एच.मान वाली बुलई दोमट मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त मानी गयी है। इसकी बागवानी के लिए भूमि में जल निकास का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जलभराव के प्रति काफी सुग्राह्य है।

पपीता एक उष्ण कटिबन्धीय फल है किन्तु इसकी खेती समशीतोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक की जा रही है। इसकी बागवानी समुद्र तल से 1000 मी. की ऊंचाई तक की जा सकती है। वायुमण्डल का तापमान 10^0 सें. से कम होने पर पपीते के वृद्धि फलों का लगना तथा फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पपीते की अच्छी वृद्धि के लिए 220 सें से 260 सें. तापमान उपयुक्त पाया गया है। औसत वार्षिक वर्षा 1200–1500 मि. मी. पर्याप्त होती है। पपीते के पकने के समय शुष्क एवं गर्म मौसम होने से फलों की मिठास बढ़ जाती है।

किस्में

पपीते की समुन्नत जातियां : पपीता एक परपरायण वाली फसल है तथा इसका व्यावसायिक प्रवर्धन बीज के द्वारा होने के कारण एक ही प्रजाति में बहुत अधिक भिन्नता पायी जाती है। वर्तमान में भारत में पपीते की कई किस्में विभिन्न प्रदेशों में उगायी जा रही हैं जिनमें प्रमुख रूप से 20 उन्नत किस्में हैं तथा कुछ स्थानीय एवं विदेशी किस्में हैं। स्थानीय किस्मों में टांची बारवानी तथा मधुबिन्दु प्रमुख हैं। विदेशी किस्मों में वाशिंगटन, सोलो, सनटाइज, सोलो एवं रेड लेडी प्रमुख हैं। पपीते की कुछ प्रमुख किस्मों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :–

पूसा डेलिसियस : यह एक गायनो डायनो डायोसियस प्रजाति है जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे निकलते हैं तथा उभयलिंगी पौधे भी फल देते हैं। यह 80 सेंमी. की ऊंचाई से फल देता है। इसका फल अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुगन्धित होता है। फल का आकार मध्यम से लेकर साधारण बड़ा होता है जिसका वजन 1–2 किग्रा. तक होता है। पकने पर फल के गूदे का रंग गहरा नारंगी होता है तथा कुल घुलनशील ठोस की मात्रा 10 से 130 ब्रिक्स होती है। फलों की पैदावार 45 कि. ग्रा. प्रति पेड़ होती है।

पूसा मजेस्टी : इस प्रजाति में भी पूसा डेलिसियस की भांति मादा एवं उभयलिंगी पौधे निकलते हैं। यह 50 सेंमी. की ऊंचाई से फल देता है तथा एक फल का वजन 1.0–2.5 कि.ग्रा. तक होता है। यह किस्म पैदावार में उत्तम है तथा फल में पपेन की मात्रा अधिक पायी जाती है। इसके फल अधिक टिकाऊ होते हैं तथा इसमें विषाणु रोग का प्रकोप कम है तथा कुल घुलनशील ठोस 9^0 से 10^0 ब्रिक्स होता है। एक पेड़ से 40 किग्रा. फल प्राप्त होता है। इसके गूदे की मोटाई 3.5 सेंमी होती है। यह प्रजाति सूत्र कृमि अवरोध है।

पूसा डूवार्फ : यह एक डायोसियस प्रजाति है जिसमें नर एवं मादा पौधे निकलते हैं। इस किस्म के पौधे बौने होते हैं तथा इसमें फलन जमीन से 40 सेंमी. की ऊंचाई से होता है तथा एक फल का वजन 0.5 से 1.5 किग्रा. होता है। इसकी पैदावार 40–45 किग्रा. प्रति पौधा है। फल के पकने पर गूदे का रंग पीला होता है। गूदे की मोटाई 3.5 सेंमी. होती है तथा कुल घुलनशील ठोस की मात्रा 90 ब्रिक्स होती है। पौधा बौना होने के कारण इसे आंधी या तूफान से कम नुकसान होता है।

पूसा जायन्ट

यह डायोसियस प्रजाति है। इस किस्म के पौधे विशालकाय होते हैं जिसमें फलन जमीन से 80 सेंमी. की ऊंचाई से होता है। इसके फल बड़े होते हैं तथा एक फल का वजन 1.5 से 3.5 किग्रा. तक होता है। इसके गूदे का रंग पीला तथा मोटाई 5 सेंमी. होती है। इसमें कुल घुलनशील ठोस की मात्रा 8^0 ब्रिक्स होती है। प्रति पेड़ औसत उपज 30–35 किग्रा. है। यह किस्म पेठा और सब्जी बनाने के लिए काफी उपयुक्त है।

पूसा नन्हा : यह पपीते की सबसे बौनी प्रजाति है जो गामा किरण द्वारा विकसित की गई है। यह भी एक डायोसियस प्रजाति है। इसमें प्रति पेड़ 25 किग्रा. फल प्राप्त होता है। इसके गूदे का रंग पीला तथा मोटाई 3 सेंमी. होती है। इसमें कुल घुलनशील ठोस की मात्रा 9^0 ब्रिक्स होती है। यह प्रजाति सघन बागवानी तथा गृह वाटिका के लिए काफी उपयुक्त पायी गई है।

भारतीय बागवानी अनुसंधान–बंगलौर द्वारा विकसित किस्में

कुर्ग हनी डयू : यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के केन्द्रीय बागवानी प्रयोग केन्द्र चेट्टली द्वारा चयनित किस्म है जिसका चयन हनी–डयू नामक प्रजाति से किया गया है। यह एक गायनोडायोसियस प्रजाति है। इसके पौधे मध्यम आकार के एवं मोटे गूदेदार होते हैं। फल का वजन 1.5 से 2.0 किग्रा. होता है। गूदे का रंग पीला होता है। इसमें कुल घुलनशील ठोस 13.50 ब्रिक्स होती है। प्रति पौधे औसत उपज 70 किग्रा. तक होती है।

अन्य किस्में

रांची : यह प्रजाति रांची (झारखण्ड) के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र में पायी जाती है। इसमें नर, मादा तथा उभयलिंगी तीनों प्रकार के पेड़ मिलते हैं। इसके फल काफी बड़े होते हैं तथा उभयलिंगी फल का वजन 15 किग्रा. तक पाया गया है। मादा पेड़ से एक फल का वजन 3 से 8 किग्रा. तक पाया गया है जो दूर से देखने पर कद्दू जैसा दिखाई देता है। लेकिन इसका बीज बाहर कहीं भी ले जाकर बोने से फल का वजन घट जाता है।

पौध प्रवर्धन : पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। किन्तु पपीते को बड़े पैमाने पर उगाने में सबसे बड़ी बाधा शुद्ध बीज का उपलब्ध न होना है। अतः पपीते के शुद्ध बीज को बुवाई हेतु उपयोग करना चाहिए जो किसी शोध संस्थान या प्रमाणित बीज भंडार से क्रय करना चाहिए।

बीज की मात्रा : 300–500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग किया जाता है।

पौध तैयार करना : पौधशाला में बीज बोने के लिए 3 मी. लम्बी, 1 मी. चौड़ी तथा 15 सेंमी. ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर बारीक बना लेना चाहिए। बीज को क्यारी में कतार में लगाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 10 सेंमी. तथा बीज को 1 सेंमी. गहरा बोना चाहिए। इसके बाद बीज को गोबर की खाद या कम्पोस्ट को भुरभुरी बनाकर ढक लेना चाहिए। वर्षा या तेज धूप से बीज को बचाने के लिए खर या पुआल से ढक देना चाहिए। इसके उपरान्त पौधशाला में सुबह फव्वारे से पानी प्रतिदिन देना चाहिए जब तक बीज का अंकुरण न हो जाए। पौधे को गलका रोग से बचाने के लिए बीज को थायरम, कप्टान या सिरेसान (2 ग्रा. प्रति किग्रा.) नामक दवाओं से उपचारित करना चाहिए। पौधशाला में जब भी गलक रोग दिखाई पड़े, बोर्डो मिश्रण (5:5:50) या मैंकोजेब या रिडोमिल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (2 ग्राम प्रति लीटर पानी में) का तुरन्त छिड़काव करना चाहिए। पपीते के बीज 7 से 15 दिन के भीतर जम जाते हैं तथा जमने के बाद पुआल हटा देना चाहिए। पुआल हटाने के बाद फव्वारा द्वारा हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए।

पौधों को पॉलीथीन के भीतर थैलियों में जमाना : पौधों को पॉलीथीन की थैलियों में उगाने हेतु छेद किए गए 150 से 200 सेंमी. तथा चौड़ाई 15 सेंमी. को ही काम में लाया जा सकता है। थैलों में एक तिहाई बालू, एक तिहाई कम्पोस्ट तथा एक तिहाई मिट्टी मिलाकर भर लेना चाहिए। प्रति थैले में 3–4 बीज एक सेंमी. की गहराई पर बोने के बाद पानी से सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधे जमने के बाद उचित देखभाल करनी चाहिए।

पौध तैयार करने का समय : साधारणतया पपीते का बीज नर्सरी में टोपने की निर्धारित तिथि से दो महीने पहले बोना चाहिए। इस प्रकार पौधे मुख्य क्षेत्र में रोपाई के समय करीब 15–20 सेंमी. की ऊंचाई के हो जाते हैं। बिहार में जहां पानी जमाव की समस्या है तथा वर्षा के दिनों में विषाणु रोग अधिक तेजी से फैलते हैं वहां अगस्त के अंत में या सितम्बर के शुरू में नर्सरी में बीज बोना चाहिए।

पौधरोपण एवं देखभाल : पपीते की खेती हेतु ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां बरसात में पानी नहीं ठहरता हो। भूमि का चुनाव करने के बाद गर्मी के दिनों में भूमि को अच्छी तरह 2–3 बार जुताई करके तैयार करना चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पपीते को 1.8 x 1.8 मी. की दूरी पर लगाना चाहिए। पौध लगाने हेतु निर्धारित दूरी पर गर्मी के दिनों में 60x60x60 सेंमी. के आकार के गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। गड्ढे को 15 दिन तक खुला छोड़ दें। वर्षा शुरू होने के पूर्व गड्ढे के ऊपर की भुरभुरी मिट्टी में 20 किग्रा. गोबर की सड़ी खाद, एक किग्रा. नीम की खली तथा एक किग्रा. हड्डी का चूर्ण तथा 5 से 10 ग्रा. फ्यूराडान या सीमेंट 10 जी का मिश्रण मिलाकर गड्ढे को अच्छी तरह भर दें।

जब पौधे नर्सरी में 15–20 सेंमी की ऊंचाई के हो जाएं तब अक्टूबर माह में पौधों को गड्ढे के बीचों–बीच लगाएं। डायोसियस किस्म के तीन पौधे तथा गायनो–डायोसियस किस्म का एक पौधा प्रति गड्ढा लगाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक पौधे की हल्की सिंचाई करनी चाहिए।

पौधों को खेत में लग जाने के बाद समुचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। कभी–कभी अधिक वर्षा के कारण भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। अतः उन्हें उचित देखरेख द्वारा बचाना चाहिए। जाड़े के दिनों में जहां ठंड अधिक पड़ती है कोमल पौधों को पॉलीथीन या ज्वार की टूटी द्वारा ढक देना चाहिए। कुछ कोमल

पौधों को काटकर शुरू में नष्ट कर देते हैं। उनसे पौधों को बचाना चाहिए। वर्षा के कारण नष्ट हुए पौधों को वसंत ऋतु में दूसरा पौधा लगाकर भर देना चाहिए।

खाद एवं उर्वरक : पपीते को बहुत अधिक खाद की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्रीय स्टेशन पर किए गए प्रयोगों द्वारा साबित हुआ है कि प्रत्येक फलने वाले पेड़ों को 200–250 ग्रा. नाइट्रोजन, 200–250 ग्रा. फॉस्फोरस तथा 250 से 500 ग्रा. पोटाश देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। साधारणतया उपरोक्त खाद तत्वों के लिए यूरिया 450–550 ग्रा., सिंगल सुपर फॉस्फेट 1200 से 1500 ग्रा. तथा म्यूरियेट ऑफ पोटाश 450–850 ग्रा. लेकर उन्हें मिश्रित कर लेना चाहिए तथा चार भागों में बांटकर प्रत्येक माह के शुरू में जुलाई से अक्टूबर तक वृक्ष की छांव के नीचे पौधे से 30 सेंमी. की गोलाई में देकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व बोटॉन (1 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) तथा जिंक सल्फेट (5 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव पौध रोपण के चौथे एवं आठवें महीने में करना चाहिए।

पपीते की सिंचाई : पपीते के सफल उत्पादन के बगीचे में जल प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। जब तक पौधा फलन में नहीं आता तब तक हल्की सिंचाई करनी चाहिए जिससे पौधे जीवित रह सकें। अधिक पानी देने से पौधे काफी लम्बे हो जाते हैं तथा विषाणु रोग का प्रकोप भी ज्यादा होता है। फल उगने से लेकर पकने तक पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसा देखा गया है कि पानी की कमी के कारण फल झड़ने लगते हैं। गर्मी के दिनों में एक सप्ताह के अन्तराल पर तथा जाड़े के दिनों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पपीते में टपकन सिंचाई प्रणाली (ड्रिप) के अन्तर्गत 8–10 लीटर पानी प्रतिदिन देने से पौधे की वृद्धि एवं उपज अच्छी पायी गयी है। इस प्रकार 40–50 प्रतिशत पानी की भी बचत होती है। मृदा नमी को संरक्षित करने के लिए पौधे के तने के चारों तरफ सूखे खरपतवार या काली पॉलीथीन की पलकार बिछानी चाहिए।

फूलन एवं फलन : पौधे लगने के लगभग 6 माह बाद मार्च–अप्रैल माह से पौधों में फूल आने लगते हैं। पपीते में मुख्य ट्रन्च में तीन प्रकार के लिंग नर, मादा एवं उभयलिंगी पाए जाते हैं। नर एवं उभयलिंगी पौधे वातावरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु मादा पौधे स्थायी होते हैं। नर एवं मादा पौधों की पहचान फूल के आधार पर कर सकते हैं। ज्यों ही नर पौधा दिखाई पड़े तुरंत काटकर खेत से निकाल देना चाहिए किन्तु परागण हेतु खेत में 10 प्रतिशत नर पौधे अवश्य छोड़ देने चाहिए।

पपीते को लगने वाले रोग एवं कीट नियंत्रण

कवकजनित रोग : यह बीमारी पौधशाला में पीथियम एफैनिडरमेटम नामक कवक के कारण होती है। इसका प्रभाव नए अंकुरित पौधों पर होता है तथा पौधे का तना जमीन के पास से सड़ जाता है और मुरझाकर गिर जाता है। अतः इससे बचाव के लिए नर्सरी की मिट्टी को बोने से पहले फारमेल्डिहाइड के 2.5 प्रतिशत घोल से उपचारित कर पॉलिथीन से 48 घंटों के लिए ढक देना चाहिए तथा बीज को आयरन, एग्रोसान जी.एन. या केप्टान (2 ग्रा. प्रति किग्रा. बीज) नामक दवाओं से उपचारित कर बोना चाहिए। पौधशाला में इस रोग से बचाव के लिए बोर्डो मिश्रण (5:55:50) या कॉपर आक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब (2 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव एक सप्ताह के अन्तराल पर 3–4 बार करना चाहिए।

जड़ एवं तनों का सड़ना : यह रोग पीथियम एफैनिडरमेटम एवं फाइटोफ्थोरा पामीवोरा नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में जड़ तथा तना सड़ने से पेड़ सूख जाता है। इसका तने पर प्रथम लक्ष्ण जलीय घटन के रूप में होता है जो बाद में बढ़कर तने के चारों तरफ फैल जाता है। पौधे के ऊपर की पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं तथा पेड़ सूखकर गिर जाते हैं।

इसकी रोकथाम के लिए पपीते को जलजमाव क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए तथा पपीते के बगीचे में जल निकास का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। यदि तने में धब्बे दिखाई देते हो तो रिडोमिल (मेटालाक्सिक) या मैंकोजेब (2 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का घोल बनाकर पौधों के तने के पास मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए।

फलों का सड़ना (एन्थ्रेक्नोज) : यह पपीते के फल की प्रमुख बीमारी है। यह कोलिटोट्रार्डकम ग्लियोस्वोरायडस नामक कवक के द्वारा होती है। इस रोग में फलों के ऊपर छोटा जलीय धब्बा बन जाता है जो बाद में बढ़कर पीले या काले रंग का हो जाता है। यह रोग फल लगने से लेकर पकने तक लगता है जिसके कारण फल पकने के पूर्व ही गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 50 या मैंकोजब (2.5 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव करना चाहिए।

कली एवं फल के तनों का सड़ना : यह पपीते में लगने वाली एक नई बीमारी है जो फ्यूजैरिया सोलनाई नामक कवक के द्वारा लगती है। शुरू में इस रोग के कारण फल तथा कलिका के पास का तना पीला हो जाता है जो बाद में फल के पूरे तने पर फैल जाता है जिसके कारण फल सिकुड़ जाते हैं तथा बाद में झड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बोर्डो मिश्रण (5:5:50) का 1–5 प्रतिशत ब्लॉइटाक्स 50 (3 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव करना चाहिए।

चूर्णी फफूंद : यह रोग ओडियम यूडिकम एवं ओडियम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा जमाव हो जाता है जो बाद में सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्केक्स (2 ग्रा. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव करना चाहिए।

विषाणुजनित रोग

पर्ण कुंचन रोग : यह पपीते का एक गंभीर विषाणु रोग है। इस रोग के कारण शुरू में पौधों का विकास रूक जाता है और पत्तियां गुच्छानुमा हो जाती हैं तथा पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। पत्तियों का ऊपरी हिस्सा अन्दर की ओर मुड़ जाता है। प्रभावित पौधों में फूल एवं फल नहीं लगते हैं।

पपीते का रिंग स्पॉट रोग : पूर्ण कुंचन की तरह यह भी एक विषाणु रोग है। इस रोग में पपीते की पत्तियां कटी–फटी सी हो जाती हैं तथा हर गांठ पर कटे–कटे पत्ते निकलने लगते हैं। पत्तियों के तनों एवं फलों पर छोटे गोलाकार धब्बे पड़ जाते हैं। प्रभावित फल का आकार अच्छा नहीं होता है तथा फलत बहुत ही कम हो जाती है। फल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

उपरोक्त दोनों विषाणु रोगों की पूरी तरह रोकथाम संभव नहीं है। विषाणु रोग वर्षा के दिनों में काफी तेजी से फैलता है। अतः वर्षा के समाप्त होने पर (अक्टूबर माह) खेत में पपीता लगाने से विषाणु रोगों का प्रभाव कम होता है। यह विषाणु रोग कीटों जैसे सफेद मक्खी और माड से फैलते हैं। अतः इनकी रोकथाम हेतु डाइमेथोऐट माहू का उपचार करना चाहिए। प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि नीम की खली या अत्यधिक कम्पोस्ट खाद का उपयोग करने पर विषाणु रोग का प्रकोप कम होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर जल देना चाहिए।

कीट : पपीते में कीट बहुत कम लगते हैं। इसमें मुख्य रूप से माहू है जो पत्तियों के निचले भाग में छेदकर रस चूसता है तथा विषाणु रोगों के फैलाने में वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोऐट (2 मिली. प्रति लीटर पानी में) का छिड़काव करना चाहिए।

(लेखक साटिपुत्र पुरातत्व संग्रहालय नालंदा, बिहार में निदेशक पद पर कार्यरत हैं।)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

पोषक तत्वों से भरपूर आम

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल

आम में इतने पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं कि एकमात्र अच्छे पके हुए आम फलों को खाने से भी बहुत समय तक जीवनलीला उत्तम प्रकार से चल सकती है। पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छे पके आम में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी तथा खनिज लवण जैसे-कैल्शियम, फॉस्फोरस एवं आयरन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, ताम्र, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन तथा विटामिन 'बी' कॉम्पलेक्स समूह के विटामिन जैसे- थायमिन, राइबोफ्लेविन एवं नायसिन भी पके आम में पाए जाते हैं। आम में उपस्थित शक्कर को पचाने के लिए शरीर में संचित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ता है। पके हुए एक सौ ग्राम आम के सेवन से 74 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इन्डिका है। अंग्रेजी में इसे मैंगो तथा संस्कृत में इसे आम्र, रसाल, सहकार, बसंत दूत तथा कामबल्लभ के नामों से जाना जाता है। मनुष्यों के अतिरिक्त पिक (तोता), कोकिला (कोयल) आदि पक्षियों को भी यह बहुत प्रिय होता है, अतः इसे पिकबल्लभ, पिकप्रिय, पिकमहोत्सव, कोकिल बन्धु और कोकिलावास आदि नाम दिए गए हैं। आम का पौधा सदा हरा–भरा रहता है। आम के वृक्ष की यह विशेषता है, कि इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के उपयोग में आता है। शुभ कार्य के समय आम के पत्तों की बंदनवार बनायी जाती है। आम के वृक्ष की टहनियां और लकड़ियां हवन के लिए समिधाओं का काम देती हैं।

प्राचीन ग्रंथों में आम को 'स्वर्ग का फल' कहा गया है। आम से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि माता पार्वती को आम बहुत प्रिय था, परंतु जब भगवान शिव और पार्वती माता हिमालय से पृथ्वी के लोगों को देखने के लिए आए तो हिमालय से आम लाना भूल गए। पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने योग–माया से धरती पर आम उत्पन्न कर दिए। इस प्रकार आम भारत में उत्पन्न हुआ।

जो आम का पेड़ जंगलों में अपने आप उग जाता है उसे **जंगली आम** कहते हैं। खेतों व बगीचों में गुठली बोकर जो आम उगाया जाता है, उसे **देसी आम** कहते हैं। अच्छी नस्ल के आम के पेड़ से कलम करके जो आम का पेड़ तैयार किया जाता है उसे **कलमी आम** कहते हैं। जंगली आम, देसी आम और कलमी आम को क्रमशः **कोशाम्र, रसाल** और **राजाम्र** कहते हैं।

हमारे देश में आम की लगभग एक हजार से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। आम की अनेक जातियां, उपजातियां मिलती हैं, उन्हीं के अनुसार इसके असंख्य नाम हैं। सामान्यतया हमारे देश में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी, नीलम, बादाम तथा हापुस आदि किस्मों के आमों का बहुतायत से सेवन किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अंगूरा, बहराइच, खासुलखास, शराफा, करेला, नीमचढ़ा, महाराष्ट्र का हाफुस, पंजाब का मालदा, बिहार का किशनभोग, गुलाखास, बंगाल का बम्बई भुट्टो, तमिलनाडु का बंगलोटी भी काफी अच्छी किस्म के आम माने जाते हैं। भारत के हर प्रदेश में आम की अपनी एक विशिष्ट किस्म और पहचान है। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्वर्ग में अमृत है उसी प्रकार पृथ्वी पर आम्रफल है। यह प्रायः सब फलों की अपेक्षा उत्तम, अधिक गुणकारी तथा अनेक रोगों का नाशक है। यह समस्त इन्द्रियों को तृप्त करने वाला, बलदायक, अत्यन्त वृष्य, कामशक्तिवर्धक और मन को प्रिय लगने वाला होने से वास्तव में **फलाधिराज** है।

आम विश्व भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है तथा फलों में इसका विशिष्ट स्थान है। कच्चे आम को **केरी** कहते हैं। केरी का अचार, चटनी व अमचूर बनाया जाता है। पका आम खाने, रस बनाने, स्कवेश बनाने, जेम व जैली बनाने के काम आता है। ज्यादातर लोग आम की गुठली को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसके लिए एक पुरानी कहावत प्रचलित है **आम के आम गुठलियों के दाम**। सचमुच आम की गुठली के दाम बाजार में मिलते हैं। बहुत पुराने जमाने से ग्रामवासियों व आदिवासियों ने इसके औषधीय गुणों की पहचान कर ली थी। आज कई दवा कम्पनियां आमों की गुठलियां खरीदती हैं व उनसे दवाईयां बनाती हैं।

आमों के उत्पादन में विश्व भर में भारत का प्रथम स्थान है। समूचे विश्व में होने वाले आम के उत्पादन का लगभग 63 प्रतिशत हमारे यहां पैदा होता है। आम उत्पादन में दूसरा स्थान मैक्सिको तथा तीसरा स्थान पाकिस्तान का है। हमारे देश में लगभग सभी स्थानों पर आम की पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश में 34.47 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 19.09 प्रतिशत, बिहार में 13.44 प्रतिशत, उड़ीसा में 8.22 प्रतिशत और कर्नाटक में 5.07 प्रतिशत आम का उत्पादन होता है।

आम को काटकर खाया जाता है। कुछ आमों को चूसा भी जाता है। पहले तो रस बनाने और काटकर खाने वाले आम

अलग–अलग आते थे लेकिन जब से मिक्सी का प्रयोग रसोईघर में हुआ, तब से काटने वाले कलमी आमों का रस घरों में बनने लगा है। आम चाहे काटकर खाएं या चूसकर अथवा उसका रस बनाएं, सभी का अपना एक अलग स्वाद और आनंद है। आम से आमपाक नामक मिठाई भी बनायी जाती है जो काफी स्वादिष्ट लगती है।

आयुर्वेद के अनुसार कच्ची कैरी (गुठली रहित), कसैली, खट्टी, सुगंधित, गरम, रुचिकारक, मलरोधक, रूखी, वर्णकारक (कांतिप्रद), हृदय (हृदय को हितकर), वातपित्तवर्धक, रक्तपित्तकारक, प्रमेह, अतिसार और योनिदोषनाशक है। जबकि बड़ी कैरी (गुठली सहित) अत्यन्त खट्टी, पित्तवर्धक, रूखी, त्रिदोष व रक्तविकृतिजन्य है। पका हुआ आम साधारणतया मधुर, किंचित कसैला, सुगंधियुक्त, रुचिकारक, तृप्तिकारक, स्निग्ध, सुखदायक, बल–वीर्यवर्धक, भारी, शीतल, अग्निदीपक, कफवर्धक, मलरोधक, मांसवर्धक तथा अतिसार, संग्रहणी, प्रमेह, तृषा, वात, श्रम, रूधिर विकार और पैत्तिक रोगनाशक है।

आम में इतने पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं कि एकमात्र अच्छे पके हुए आम्र फलों को खाने से भी बहुत समय तक जीवनलीला उत्तम प्रकार से चल सकती है। पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छे पके आम में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी तथा खनिज लवण जैसे–कैल्शियम, फॉस्फोरस एवं आयरन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, ताम्र, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन तथा विटामिन बी कॉम्पलेक्स समूह के विटामिन जैसे– थायमिन, राइबोफ्लेविन एवं नायसिन भी पके आम में पाए जाते हैं। आम में उपस्थित शक्कर को पचाने के लिए शरीर में संचित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ता है। पके हुए एक सौ ग्राम आम के सेवन से 74 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है (देखे तालिका 1)।

आम सेवन के पश्चात् दूध पीना गुणदायक होता है। आम के रस में दूध मिलाने से इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। दूध के साथ सेवन किया हुआ आम शीतल, मधुर, वात, पित्तनाशक, रुचिकर, वीर्यवर्धक, आभारी, वर्ण को उत्तम करने वाला होता है। दूध के साथ आम रस शर्करा उत्पन्न नहीं करता है। अतः प्रमेह, मधुमेह एवं बहुमूत्र रोगी इसे सेवन कर सकते हैं।

औषधीय गुण

नेत्र रोग : जिन लोगों को रात्रि में कम दिखाई देता है, उनके लिए मीठा पका आम अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता है क्योंकि आम में सभी फलों की अपेक्षा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः नेत्र रोगियों को आम का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। शरीर में विटामिन ए की कमी से शुष्कनेत्रप्रदाह (आंखों का लाल होना और खुजली आना) हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी (रात को कम दिखाई देना) नामक रोग भी हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है।

तपेदिक : तपेदिक (क्षय रोग या यक्ष्मा) होने का प्रमुख कारण शारीरिक कमजोरी है। आम के रस के साथ शहद मिलाकर दिन में दो बार प्रातः और सायंकाल प्रयोग करने से तपेदिक के रोगी को लाभ होता है। तपेदिक के रोगी के लिए आवश्यक है कि आम के रस के साथ दूध में पिप्पली उबालकर पिएं, इससे जल्दी लाभ होता है। तपेदिक से ग्रसित रोगी यदि आम के रस के साथ लहसुन की एक–दो कलियां छीलकर दूध में उबालकर पीते रहे तो और भी जल्दी लाभ होता है।

तालिका 1: आम का पोषक मान
(खाद्य भाग के प्रति 100 ग्राम भार में)

पोषक तत्वों की मात्रा		खनिज एवं विटामिन	
नमी	81.0 प्रतिशत	कैल्शियम	14 मि.ग्रा.
कार्बोहाइड्रेट	16.9 प्रतिशत	फॉस्फोरस	16 मि.ग्रा.
प्रोटीन	0.6 प्रतिशत	आयरन	1.3 मि.ग्रा.
वसा	0.4 प्रतिशत	केरोटिन	2743 माइक्रोग्राम
खनिज लवण	0.4 प्रतिशत	थायमिन	0.08 मि.ग्रा.
रेशा	0.7 प्रतिशत	राइबोफ्लेविन	0.09 मि.ग्रा.
ऊर्जा	74 किलो कैलोरी	विटामिन सी	16 मि.ग्रा.

कफनाशक : एक कप आम रस को 50 ग्राम शहद के साथ सुबह–शाम सेवन करने से क्षय, प्लीहा, वात और कफ का नाश होता है।

मधुमेह : मधुमेह में आम के कोमल पत्तों का रस या उनका काढ़ा बनाकर प्रातःकाल पीते रहने से मधुमेह की प्रारम्भिक स्थिति में रोग बढ़ने का खतरा दूर हो जाता है। आम के पत्तों का एक और प्रयोग यह है कि उन्हें सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर एक चम्मच चूर्ण पानी के साथ दिन में दो बार लेने से मधुमेह के रोगियों को निश्चित रूप से लाभ होता है।

रक्तदोष : आम के फूलों का काढ़ा या चूर्ण सेवन करने से या इसके चूर्ण में चतुर्थ भाग मिश्री मिला, सुबह–शाम शीतल जल के साथ सेवन करने से अतिसार, प्रमेह, अरुचि, रक्तदोष, वाह एवं पित्त के उपद्रव नष्ट होते हैं।

प्रदर रोग : कल्मी आम वृक्ष के पुष्पों को घी में भूनकर शक्कर मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग में आशातीत लाभ होता है।

अतिसार : आम के तने और जड़ की छाल शीतल, संकोचक, रक्तस्त्राव को बंद करने वाली तथा वमन और अतिसारनाशक है। छाल को पीसकर दही के साथ सेवन करने तथा पथ्य में दूध व चावल लेने से अतिसार नष्ट होता है। यह सूजाक रोग में भी लाभकारी है।

मुख दुर्गंध : आम की टहनी की दातुन नियमित करने से मुख की दुर्गंध दूर होती है।

नकसीर : आम की लकड़ी की भस्म नकसीर में लाभकारी होती है।

लू लगने पर : आम की कच्ची कैरी को भूमल में भूनकर पानी में मल, छानकर और उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक तथा शक्कर मिलाकर पीने से लू का असर दूर होता है।

घाव : आम के पत्तों को जलाकर इसकी राख को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसी प्रकार इसके पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर बारीक कपड़े से छानकर घाव पर लगाने से भी घाव थोड़े समय में ही भर जाता है।

दिमागी कमजोरी : दिमागी कमजोरी के लिए एक कप आम का रस, थोड़ा दूध और एक चम्मच अदरक का रस तथा चीनी मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। दिमागी कमजोरी के कारण सिरदर्द रहना और उसके कारण आंखों के आगे अंधेरा छाना दूर होता है। इससे शारीरिक रक्त भी साफ होता है। रक्त की शुद्धि के कारण शरीर स्वस्थ रहता है।

पेट के रोग : आम पेट के रोगों में भी लाभ करता है। आम की गुठली को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। डेढ़ से दो ग्राम गुठली का चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से दस्त दूर होते हैं। आम के रस में थोड़ा दही मिलाकर एक चम्मच अदरक के रस के साथ दिन में 3 बार लेने से दस्त, अपच और बवासीर में लाभ होता है। आम एक ऐसा फल है जिससे कब्ज प्राकृतिक रूप से दूर होती है। आम चूसकर दूध पीने से आंतों में एक प्रकार का कोमल लेप–सा हो जाता है और झिल्ली में चिपटे हुए मल के कण धीरे–धीरे साफ होने लगते हैं।

दांतों की मजबूती : आम के ताजा पत्ते खूब चबाएं और थूकते जाएं। थोड़े दिन के निरन्तर प्रयोग से हिलते दांत मजबूत हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्त गिरना बंद हो जाता है।

सूखी खांसी : पके हुए आम को गर्म राख में दबाकर, भून कर ठण्डा होने पर चूसने पर सूखी खांसी ठीक हो जाती है।

अनिद्रा : रात को आम खाएं व दूध पिएं। इससे नींद अच्छी आती है।

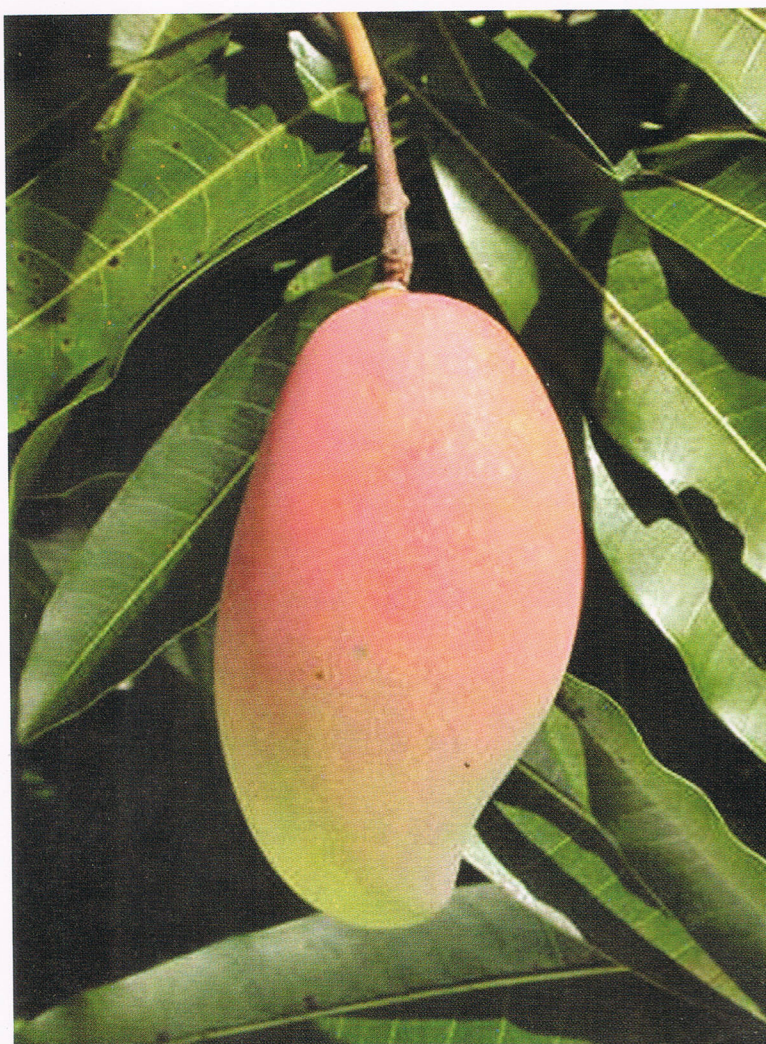

गुर्दे की दुर्बलता : नित्य आम खाने से गुर्दे (वृक्क) की दुर्बलता दूर हो जाती है।

सूखारोग : एक चम्मच अमचूर को भिगोकर उसमें दो चम्मच शहद मिलाकर बच्चे को नित्य दो बार चटाने से सूखारोग ठीक हो जाता है।

पित्त प्रकोप : कच्चे आम के प्रयोग से पित्त संबंधी कष्ट दूर होते हैं। कच्चे आम के खाने से आंतों में पाचक रस पैदा होता है। शहद और काली मिर्च के साथ कच्चे आम का प्रयोग करने से पित्त प्रकोप दूर होता है। आम के पेड़ की जड़ वायु और कफ का नाश करती है। इसे हाथ पर बांधने से पित्त के कारण आने वाला ज्वर भी शांत होता है।

मिट्टी खाना : बच्चे को मिट्टी खाने की आदत हो तो आम की गुठली ताजा पानी से देना लाभदायक होता है। गुठली को सेंककर सुपारी की तरह खाने से भी मिट्टी खाना छूट जाता है।

सावधानी : आम का उपयोग बहुत सोच–समझकर किया जाना चाहिए। आम जहां शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है, वहीं इसे ठीक से उपयोग में न लाने से रक्तविकार हो जाता है और शरीर में फोड़े–फुंसियां निकल आते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आम का उपयोग उचित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। आम के सेवन से पूर्व इसको ठण्डे पानी में या फ्रिज में रखना चाहिए, इससे आम की गर्मी निकल जाती है। आम को चूसते समय या रस निकालते समय उसकी डेंठ में जो एक प्रकार का चीक रहता है, उसे प्रथम निचोड़कर निकाल देना चाहिए अन्यथा यह गले में खराश या खांसी पैदा कर देता है। आम खाने पर जल नहीं पीना चाहिए अन्यथा अतिसार, विसूचिका (कालरा) आदि होने का भय रहता है।

**(लेखक आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
राजस्थान कृषि महाविद्यालय में वरिष्ठ तकनीकी
सहायक, जैव रसायन कृषि हैं)**
ई–मेल : khandelwalsk19@yahoo.com

सफलता की कहानी

इंडो-इज़राईल संयुक्त कार्यक्रम

बदली किसानों की तकदीर

राजस्थान के रेतीले धोरों में जहां खेती के बारे में सोचा नहीं जा सकता वहां अब स्ट्राबेरी, फूल और शिमला मिर्च पैदा की जा रही है। इतना ही नहीं यहां फलों, सब्जियों के साथ ही फूलों की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। किसानों को यह गुर सिखाया जा रहा है कि किस तरह वे कम पानी, छोटे खेत और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए यहां शिमला मिर्च की 14 किस्में विकसित की जा रही हैं। बस्सी के ढिंढ़ोल गांव में देश का तीसरा सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार हो रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने 30 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बस्सी समेत दो दर्जन से अधिक गांवों में खेती की नई बयार चल पड़ी है।

कुसुमलता सिंह

राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बस्सी गांव और उसके आसपास के दो दर्जन गांव खेती में नई इबारत लिख रहे हैं। इस क्षेत्र के किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि राज्य ने उस मिथक को भी तोड़ दिया है जिसमें यह कहा जाता है कि राजस्थानी मिट्टी में फल, सब्जी और फूल उगाना असंभव है, लेकिन यहां के किसानों ने उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर यह संभव कर दिखाया है और इसका श्रेय जाता है इंडो–इज़राईल संयुक्त कार्यक्रम को। चूंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत निर्धारित क्षेत्रफल में की गई, लेकिन इसका असर पूरे इलाके में दिख रहा है। बस्सी सहित आसपास के दो दर्जन गांवों के किसान इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और वे न सिर्फ कृषि की नई तकनीकी के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि नई–नई फसलों की खेती से यहां की उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं। स्थिति यह है कि अब यहां स्ट्राबेरी की खेती शुरू हो गई है। इसके अलावा यहां विदेशी फूलों व अन्य फलों की किस्में भी तैयार की जा रही हैं। फूलों के प्रसार के लिए नीदरलैंड से फूल के पौधे मंगाए गए हैं।

राजधानी जयपुर के पूर्वी इलाके में स्थित बस्सी के आसपास का इलाका बलुई मिट्टी से आच्छादित है। इस इलाके में सरसों, गेहूं की परंपरागत खेती होती रही है, लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्य में इंडो–इज़राईल संयुक्त कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। बस्ती के पिछड़ेपन को दूर करने और इलाके के किसानों को विपरीत परिस्थितियों में खेती के प्रति उत्साहित करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त समझा और बस्सी के ढिंढोल गांव में इंडो–इज़राईल संयुक्त कार्यक्रम की नींव रखी गई। करीब 30 करोड़ रुपये खर्च कर सेंटर फॉर एक्सीलेंसी तैयार किया गया, जिसका ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। कुछ काम बचा है जो अंतिम चरण में चल रहा है। ढिंढ़ोल गांव में करीब 826 बीघा भूमि में कम पानी, कम जमीन पर कम लागत से ज्यादा फसलें उगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पूरे देश में तीसरा सेंटर फॉर एक्सीलेंसी है। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में यह केंद्र बनाए जा चुके हैं। हाल ही में इज़राईल से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बस्सी के दौरे पर आया। यहां पहुंचने वाले दल ने किसानों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। दल के सदस्यों का कहना था कि जिस तरह से इस पूरे इलाके के किसान उत्साहित हैं, उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान जल्द ही फल, सब्जी उत्पादक राज्यों में अग्रणी होगा। चूंकि यहां यह कार्यक्रम निर्धारित क्षेत्रफल में चलाया जा रहा है, लेकिन उसका असर दूसरे गांवों में भी है। दूसरे गांव के किसान यहां की वैज्ञानिक खेती को अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं। इज़राईल प्रतिनिधिमंडल की चीफ एक्सपर्ट एग्रीकल्चर शैली कहती हैं कि कम पानी, कम लागत, कम जमीन पर इजराइली तकनीक से अधिक उत्पादन व स्वयं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां के किसान इस कार्यक्रम में पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। इससे उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान खेती के मामले में कई मिथक तोड़ता नजर आएगा।

खीरे की नई प्रजाति

बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खीरे की नई किस्म तैयार की है। इस नई किस्म का नाम रखा गया है नूरी। यह किस्म राजस्थान की मिट्टी में अधिक उपज देने योग्य है। साथ ही इसमें सामान्य किस्म से अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पोषक तत्व पेट की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए गुणकारी दवा का काम करेंगे। वैज्ञानिकों की मानें तो यह खीरा पूरी तरह से बीजरहित है और गैस, कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों में लाभकारी भी है।

कृषि अनुसंधान केंद्र, मंडोर के वैज्ञानिक डा. बी.आर. चौधरी कहते हैं कि इस नई किस्म को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की गई। वैज्ञानिकों ने इसे पाली हाउस में तैयार किया। यह नूरी खीरा पूरी तरह से शुद्ध जैविक उत्पाद है। इस रेशेयुक्त खीरे की किस्म में पोषक तत्व अधिक और गुणकारी हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के बागवानी विशेषज्ञ डा. इंद्र मोहन वर्मा कहते हैं कि तीन साल की मेहनत के बाद नूरी खीरे की नई किस्म विकसित करने में सफलता मिली है। अगले दो सालों में पूरे प्रदेश में इसका बीज बुवाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से यह किसानों के लिए काफी मुनाफेदार साबित होगा क्योंकि यह लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे इसकी डिमांड बढ़ेगी। साथ ही इसका उत्पादन भी अधिक है। ऐसे में किसान इस खीरे को अधिक से अधिक बुवाई करके मुनाफा कमा सकेंगे।

नूरी की खासियत : **कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक नूरी किस्म के खीरे को छिलके सहित खाया जा सकता है। इसमें छिलके की परत बहुत पतली है। इसे उतारने की जरूरत नहीं होगी। इस खीरे में सामान्य खीरे के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल की मात्रा कहीं अधिक है। सलाद या सीधे ही खाया जाने वाला यह खीरा पेट के विकारों को दूर करेगा। साथ ही त्वचा के लिए भी फायदेमंद होगा।**

रोगजनित पौधे उगाने का प्रशिक्षण

कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि खेती के दौरान उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न रोगों के कारण प्रभावित होता है। इसलिए किसानों को रोगजनित पौधे उगाने की जानकारी दिया जाना जरूरी है। अभी तक ग्रामीण स्तर पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इंडो–इजराईल कार्यक्रम में प्रशिक्षण को विशेष तवज्जो दिया जा रहा है। ढिंढ़ोल गांव में रिसर्च एंड डेमोस्टेशन तकनीक के तहत प्रदेश के किसानों को रोगजनित पौधे उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक यहां होने वाले प्रशिक्षण में राज्य के हर हिस्से के किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तक बस्सी के आसपास के इलाके के किसानों को ही प्रशिक्षण मिल पा रहा है लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए लैंड हाउस और पॉली हाउस तैयार किए गए हैं। हालांकि अभी तक निर्माण कार्य चल ही रहा है। लैंड हाउस और पाली हाउस के तैयार हो जाने के बाद राजस्थान के हर गांव के किसान को यहां बुलाया जाएगा और उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। खो नागोरियान के किसान विक्रम शर्मा कहते हैं कि वे पहले टमाटर की खेती करते थे। जैसे ही बारिश होती, पौधों में रोग लग जाता था और फल आने से पहले ही पौधे रोगग्रसित हो जाते हैं, लेकिन जब से ढिंढ़ोल में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, उन्हें बहुत लाभ हुआ। इस वर्ष बारिश भी हुई और पाला भी पड़ा। फिर भी उनकी फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। उत्पादन भी गत वर्ष की अपेक्षा दुगुना हुआ। इसके लिए बस इतना करना पड़ा कि सेंटर पर दो–चार घंटे का समय देकर कृषि वैज्ञानिकों की बात सुननी पड़ी और जिस फार्म में सेंटर की ओर से तकनीकी खेती की जा रही है वहां जाकर यह देखना पड़ा कि किस तरह से दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरह से खाद का। विक्रम बताते हैं कि इस कार्यक्रम ने उनकी तकदीर बदल दी है। उनके पड़ोसी जो किसान पहले सरसों बोने के बाद खेत को खाली छोड़ देते थे, अब वे भी विभिन्न तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। लोगों में खेती के प्रति काफी जोश दिख रहा है।

फल एवं सब्जी की नर्सरी

खेती से जुड़े लोगों के सामने नर्सरी तैयार करना एक चुनौती होती है। कई बार बीजों का सही चयन न होने के कारण फल एवं सब्जी की खेती तो किसान करते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत नर्सरी तैयार की जाती

है और यहां तैयार होने वाले पौधे किसानों को मुहैया कराए जाते हैं। ढिंढ़ोल गांव में दो नर्सरी भी बनाई गई हैं। इसमें एक नर्सरी में सब्जियां और दूसरी में फलदार वृक्षों की पौध तैयार की जाती है। इतना ही नहीं यहां पर विदेशी फूल व सब्जियों की भी विभिन्न किस्मों को उगाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए यहां ग्रीन हाउस भी बनाया जा रहा है। ग्रीन हाउस बनने के बाद यहां उन फूलों और सब्जियों की भी खेती हो सकेगी, जिसके बारे में अभी तक किसान जानते भी नहीं हैं।

उगाने की तैयारी

ढिंढ़ोल गांव के सेंटर में वर्तमान में शिमला मिर्च की खेती वरीयता के आधार पर की जा रही है। आमतौर पर जहां शिमला मिर्च का वजन 20 से 50 ग्राम तक होता है वहीं यहां तैयार किए गए फार्म में पैदा होने वाली शिमला मिर्च सौ से ढ़ाई सौ ग्राम की है। इतना ही नहीं शिमला मिर्च के पौधे में फलों का झोपा लगा हुआ है, जबकि सामान्य पेड़ों में दो–तीन फल ही लगते हैं। इस तरह उन्नत किस्म की शिमला मिर्च होने की वजह से किसानों को खूब लाभ मिल रहा है। यहां शिमला मिर्च की 14 किस्मों को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर गुलाब, खीरा की खेती की जा रही है। फलदार पेड़ों की आठ प्रकार की किस्में यहां तैयार की जा रही हैं। इसमें आम, अमरूद, बीलपत्र, चीकू, नींबू और शहतूत प्रमुख हैं। इसके अलावा यहां जैतून, जोजोबा और बिजली बनाने के लिए उपयोग में आने वाले बायोमास की खेती करने की तैयारी है। इसे औद्योगिक खेती के रूप में शामिल किया गया है। अभी इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां के किसानों को इस औद्योगिक खेती के प्रति मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है।

नीदरलैंड से मंगाए फूल

ढिंढ़ोल में बने फार्म पर विदेशी फूलों की किस्म विकसित करने के तहत नीदरलैंड से ग्लेडिया फूल के पौधे भी मंगाए गए हैं, जिसे आगामी समय में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रमुख रूप से ठंडे भूभाग में पैदा होने वाली स्ट्राबेरी की खेती पर भी प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि स्ट्राबेरी की खेती ठंडे भूभाग में होती है ऐसी स्थिति में रेतीले इलाके में इसकी खेती अभी तक असंभव मानी जा रही थी, लेकिन प्रयोग के तौर पर यह खेती दो वर्ष से की जा रही है। वैज्ञानिक विभिन्न तरह के प्रयोगों के जरिए इसे आम किसानों के लिए विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जैतून का तेल भी निकालेंगे

बस्सी के ग्राम ढिंढ़ोल में वर्ष 2008 में जैतून की खेती शुरू की जा चुकी है। अब इस खेती को पूरी तरह से विकसित किया जा चुका है। अगले छह माह में इसमें फल आएंगे, जिसका तेल निकाला जाएगा। इसके लिए तेल निकालने का प्लांट भी बस्सी में ही लगाए जाने का प्रस्ताव है।

कृषि का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी

इस पूरे कार्यक्रम के चीफ आपरेशन अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब इस कदर सफलता की उम्मीद कम थी, लेकिन इस इलाके के किसानों ने इस कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। वे अपनी हर छोटी से छोटी शंकाओं के समाधान के लिए केंद्र पहुंच जाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों की ओर से बताई गई तकनीकी को अपनाने में किसी तरह की चूक नहीं रखते। यही वजह है कि किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। सेंटर पर विकसित की जा रही प्रजातियों को तमाम किसान अपना रहे हैं और इससे मुनाफा कमा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में फल, सब्जी और फूल उत्पादन के मामले में बस्सी राजस्थान ही नहीं पूरे देश का आपूर्तिकर्ता इलाका बन जाएगा।

क्या कहते हैं किसान

बस्सी के किसान हरी बरधानी बताते हैं कि पहले तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि रेत में यह सब संभव हो पाएगा। करीब पांच साल पहले जब इस प्रोजेक्ट को लेकर इलाके में चर्चा छिड़ी थी तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और सरकार की ओर से मुहैया कराए गए आर्थिक सहयोग के कारण अब बस्सी का इलाका खेती के मामले में नंबर वन होता नजर आ रहा है। इंडो–इज़राईल कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद तो किसानों का भाग्य ही बदल गया है। पहले परंपरागत खेती से बमुश्किल खाने भर का अनाज पैदा कर पाते थे। पानी के अभाव में खेत का तमाम हिस्सा खाली ही पड़ा रहता था, लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद खाली पड़ी जमीन पौधों से आच्छादित है। मैंने खुद अपने खाली पड़े तीन बीघा खेत में अमरूद लगवा दिए हैं। बस कृषि वैज्ञानिकों से जरा–सा सहयोग मांगा। वे एक बार हमारी रुचि के बारे में जान गए तो फिर क्या था वे खुद समय–समय पर हमारे बाग में पहुंचने लगे और यह बताते कि कब क्या करना है। मसलन जब दवा छिड़काव की जरूरत पड़ी तो उसके बारे में भी बताया और निराई–गुड़ाई के बारे में भी। अब बाग तैयार हो रहा है। अगले

वर्ष तक फल आने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह जाटान के किसान शेरसिंह का कहना है कि वे सब्जी की खेती के बारे में सोचते भी नहीं थे। एक दिन पड़ोसी किसान ने ढिंढ़ोल गांव में चलने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। उसने जो देखा था, उसका आंखोंदेखा हाल मुझे सुना दिया। फिर क्या था मेरा भी मन वहां जाने के लिए लालायित हो गया। अगले दिन बस्सी में बनने वाले फार्म हाउस पर गया। वहां के केंद्र व्यवस्थापकों से मुलाकात की। अपनी इच्छा के बारे में बताया। बातचीत के दौरान अपनी समस्याएं भी गिनाई और वैज्ञानिकों का सुझाव भी सुना। फिर तय किया कि हम भी शिमला मिर्च की खेती करेंगे। केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए पौधे ले आए और फिर उन्हें खेत में लगवा दिया। जैसे–जैसे सलाह मिली, उसी तरह से खेती के सभी पहलुओं को अपनाया। अब खेत में फसल तैयार है। शेरसिंह बताते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक से की गई खेती का असर यह है कि शिमला मिर्च के फल इतने बड़े और हरे हैं कि इस तरह की शिमला मिर्च उन्होंने देखी ही नहीं थी। उन्नत किस्म के फल होने के कारण उनकी कीमत भी बाजार में अव्वल दर्जे की मिलती है। मंडी में ले जाते ही तुरंत उसके खरीददार मिल जाते हैं। करीब–करीब यही बात दूसरे किसान भी बताते हैं।

इस तरह देखा जाए तो ढिंढ़ोल गांव में शुरू किए गए इस इंडो–इज़राईल कार्यक्रम ने किसानों को नई राह दिखाई है। यहां के किसान कम पानी, कम खेत और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तमाम किसानों ने नींबू की भी खेती शुरू की है। जब तक नींबू के पेड़ छोटे रहते हैं, जब तक खेत में टमाटर, शिमला मिर्च आदि उगाते रहते हैं। इस तरह वैज्ञानिक तकनीक से एक ही खेत में दो–दो फसलें ली जा रही हैं।

(लेखिका शैक्षिक संस्थान से जुड़ी हैं)
ई–मेल : kusamalata.kathar@gmail.com

हमारे आगामी अंक

जुलाई, 2011 – बेहतर कृषि प्रबंधन
अगस्त, 2011 – गांवों में बेहतर प्रशासन
सितंबर, 2011 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण
अक्तूबर, 2011 – (विशेषांक) ग्रामीण भारत में नई पहल

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

अब उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

भारत 2011

देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए

मूल्यः 345 रुपये

* अर्थव्यवस्था
* विज्ञान और तकनीक
* सामाजिक विकास
* राजनीति
* शिक्षा
* कला और संस्कृति

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्रः • **नई दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260) • **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बेंगलूर** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गोवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन. 011–24365610, 24367260, फैक्सः 24365609

ईमेलः dpd@mail.nic.in
dpd@hub.nic.in
वेबसाइटः www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

DPDB-H-11/05

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना